खण्ड–489, अंक–8
सोमवार, 09 आषाढ़, शक संवत् 1936
(30 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-5
प्रश्नोत्तर	7-50
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	50-52
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के कतिपय मार्गों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित थाना जोगिया उदयपुर के भवन निर्माण में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद बस्ती में संचालित जिला सहकारी बैंक कर्मियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
लखनऊ विकास प्राधिकरण की आश्रयहीन बसन्तकुन्ज योजना, हरदोई रोड में लम्बित 308 मकानों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में ''मंगापुर उदयपुर" के नाम से नये विकास खण्ड को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय क्षेत्रों की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के कतिपय ग्रामों की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या-67 अन्तर्गत विवेकानन्द नगर के जर्जर मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	56
जनपद मथुरा के ग्राम आटस से बाबूगढ़ जाने वाले मार्ग पर स्थित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	56-57

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ अन्तर्गत जगनेर से मिर्जपुरा तक सी0ए0टी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद मथुरा के कतिपय मार्गों की मरम्मत/ नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
गाजियाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद कुशीनगर के प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड में वार्षिक अनुरक्षण व मरम्मतीकरण के लिये वर्ष 2012-2013 में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
नवसृजित जनपद शामली में जनपद स्तरीय कार्यालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	60
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	60
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता-2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	61
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही अन्तर्गत दो पुलों क्रमशः बांसी नदी पर स्थित टी0वी0 रोड एवं पिपराघाट के गोलाघाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री संतोष निषाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	61
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत ग्राम सभा चौबिया पटखौली लालाटोला के पास रामायण डोम पर व बांसी नदी पर स्थित गौरी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जयसिंह निषाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	61
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	61-65
प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक उत्तर पर नेता विरोधी दल द्वारा मा0 अध्यक्ष के प्रति की गई टिप्पणी की निन्दा	65-71

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	71-80
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा मतदान-अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	80-83
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा मतदान-अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	83
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा मतदान-अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	84
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा मतदान-अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	84
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित)... ...	85-86
आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन... ...	86
आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन	86
आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन	87
आगरा महानगर को सूचना प्रोद्योगिकी नगर (आई0 टी0 हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन	87
आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन	87

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन	87
पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन ...	88
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	88-89
प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग द्वारा ढैंचा का बीज उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	89-91
जनपद हाथरस स्थित माँ रामवती महाविद्यालय असीमित योजना के अन्तर्गत शेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	91
जनपद शाहजहांपुर के रोजा थर्मल पॉवर प्लाण्ट से निकलने वाली विषैली राख के निस्तारण की उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	91
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि से हुये नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	91
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पैथोलाजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं यूनिट प्रभारी द्वारा आदेश के विपरीत बिना टेण्डर के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	91-92
अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय शिक्षकों के आमेलन के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	92-94
जनपद देवरिया के रामकोला के ग्रामों में किसानों की फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेरठ नगर निगम क्षेत्र में मार्ग प्रकाश के बिन्दुओं के दिन में जलते रहने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	94
जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा बैठकवा के संत धारी की जमीन पर जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	94-95
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क यूनीफार्म का मानक निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	95
नत्थियां	96-99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-297

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
18. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
19. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
22. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
24. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
30. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
32. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
33. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
34. आशीष यादव, श्री — बदायूं
35. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
36. इकबाल महमूद, श्री — संभल
37. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
38. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
39. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
40. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
41. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
42. उदयराज, श्री — उन्नाव
43. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
44. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
45. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
46. उमाशंकर, श्री — बलिया
47. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
48. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
49. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
50. कमाल अख्तर, श्री — अमरोहा

51. काली चरन सुमन, श्री आगरा
52. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
53. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
54. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
55. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
56. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
57. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
58. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
59. गजराज सिंह, श्री हापुड़
60. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
61. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
62. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
63. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
64. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
65. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
66. गोमती यादव, श्री लखनऊ
67. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
68. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
69. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
70. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
71. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
72. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
73. जगपाल, श्री सहारनपुर
74. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
75. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
76. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
77. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
78. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
79. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
80. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
81. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
82. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
83. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
84. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
85. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
86. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
87. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
88. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
89. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
90. दलजीत सिंह, श्री बांदा
91. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
92. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
93. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
94. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
95. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
96. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
97. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
98. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
99. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
100. धर्मराज, श्री बाराबंकी
101. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
102. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
103. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
104. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
105. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
106. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
107. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
108. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
109. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
110. पीतमराम, श्री पीलीभीत
111. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
112. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली

113. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
114. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
115. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
116. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
117. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
118. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
119. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
120. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
121. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
122. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
123. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
124. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
125. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
126. बदलू खां, श्री उन्नाव
127. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
128. बाबू खां, श्री हरदोई
129. बाबूलाल, श्री गोण्डा
130. बावन सिंह, श्री गोण्डा
131. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
132. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
133. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
134. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
135. बैजनाथ, श्री मऊ
136. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
137. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
138. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
139. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
140. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
141. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
142. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
143. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
144. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
145. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
146. मनबोध, श्री देवरिया
147. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
148. मनीष रावत, श्री सीतापुर
149. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
150. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
151. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
152. महबूब अली, श्री अमरोहा
153. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
154. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
155. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
156. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
157. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
158. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
159. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
160. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
161. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
162. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
163. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
164. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
165. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
166. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
167. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
168. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
169. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
170. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
171. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
172. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
173. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
174. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात

175. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
176. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
177. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
178. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
179. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
180. रणजीत सुमन, श्री एटा
181. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
182. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
183. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
184. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
185. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
186. रवि शर्मा, श्री झांसी
187. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
188. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
189. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
190. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
191. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
192. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
193. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
194. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
195. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
196. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
197. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
198. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
199. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
200. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
201. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
202. राधे श्याम, श्री अमेठी
203. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
204. राम करन आर्य, श्री बस्ती
205. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
206. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
207. राम गोविन्द, श्री बलिया
208. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
209. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
210. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
211. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
212. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
213. राम मगन, श्री बाराबंकी
214. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
215. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
216. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
217. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
218. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
219. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
220. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
221. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
222. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
223. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
224. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
225. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
226. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
227. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
228. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
229. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
230. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
231. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
232. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
233. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
234. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
235. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
236. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
237. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
238. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
239. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
240. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
241. विशम्भर सिंह, श्री बांदा

242. वीरपाल राठी, श्री बागपत
243. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
244. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
245. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
246. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
247. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
248. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
249. शाकिर अली, श्री देवरिया
250. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
251. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
252. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
253. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
254. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
255. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
256. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
257. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
258. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
259. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
260. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
261. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
262. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
263. संजय कपूर, श्री रामपुर
264. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
265. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
266. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
267. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
268. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
269. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
270. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
271. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
272. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
273. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
274. सियाराम सागर, डा0 बरेली
275. सीमा, श्रीमती जौनपुर
276. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
277. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
278. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
279. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
280. सुधाकर, श्री मऊ
281. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
282. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
283. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
284. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
285. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
286. सुरेश राणा, श्री शामली
287. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
288. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
289. सुल्तान बेग, श्री बरेली
290. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
291. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
292. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
293. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
294. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
295. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
296. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
297. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के रोकने की योजना का विवरण

*01-डा0 अरुण कुमार, श्री सतीश महाना, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री प्रदीप माथुर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री मनीष असीजा तथा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों को रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई व्यापक कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

प्रदेश पुलिस महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार रोकने के लिए सचेत एवं सतक्र हैं। महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा इनके विरुद्ध घटित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु प्रदेश स्तर पर तीन वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों की एक समिति बनायी गयी है। महिलाओं के विरुद्ध घटित गम्भीर अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट एवं गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों को रोकने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को ट्रैफिकिंग एवं महिला प्रकरणों के सम्बन्ध में जागरुक बनाने की दृष्टि से प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इन सर्विस कोर्सेज में ट्रैफिकिंग एवं लैंगिक संवेदनशीलता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। दुष्कर्मी/अपराधी को सजा दिये जाने का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में पूर्व से ही मौजूद है, इसके अतिरिक्त 02 अप्रैल, 2013 को क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट ऐक्ट, 2013 लागू किया गया है, जिसके द्वारा भा0दं0वि0, द0प्र0सं0 व साक्ष्य अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुये बलात्कार की सजा को और कठोर किया गया है। महिलाओं सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में महिला थानों की स्थापना की गयी है तथा प्रदेश के थानों पर गठित स्पेशल यूनिट के नामित जुवेनाइल आफिसर जो उप निरीक्षक स्तर के हैं, की नियुक्ति की गयी, जिनके द्वारा बाल यौन हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हेल्प लाइन नम्बर 1090 की शुरुआत की गयी है, जिस पर तत्काल मदद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में कन्ट्रोल रुम पर अवस्थित 100 नम्बर भी महिला हेल्पलाइन के रुप में कार्य कर रहे हैं। अपराधों के अनुश्रवण हेतु हीनियस क्राइम मानिटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। जिसमें उक्त अपराधों एवं अपराधियों का विवरण आनलाइन उपलब्ध है, जिसका जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा मुख्यालय स्तर पर भी समय-समय पर्यवेक्षण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से इस प्रकार की अपराधिक घटनाएं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बहुत बढ़ी है उससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। मंत्री जी ने अपना लिखित उत्तर विस्तार से दिया है लेकिन इसमें एक बात मैं आपके माध्यम से जरुर करना चाहता हूं यह बहुत गम्भीर बातें हैं केवल प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं ही नहीं बढ़ी है बल्कि प्रदेश की बहुत खराब छवि पूरे देश के अन्दर फैली हुई है। मेरे पास गृह विभाग और पुलिस विभाग के आंकड़े हैं क्योंकि महिलाओं से सम्बन्धित मामला है।

मान्यवर, जो दुराचार के मामले हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न तो पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं उसी के ऊपर पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछिये। आंकड़े देने हैं तो वह तो उत्तर में आ गये हैं, बजट में आ गये हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपका उत्तर आ गया है, आप अनुपूरक की अनुमति नहीं देते हैं तो हम वह उत्तर लेकर घर चले जायं। मान्यवर, इसमें जो मेरे पास है 2012 में मान्यवर, जो दुराचार की घटना हुईं। मैं दुराचार शब्द का इस्तेमाल करता हूं 825, 2013 में 1199, 2014 में 1294 हर वर्ष मान्यवर, इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। एक नियम मान्यवर, एक आर्डिनेंस बना, एक ऐक्ट बना 2013 में क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट 2013 में। मान्यवर, सिर्फ कानून बना देने से या कानून की बैठक कर लेने से अपराधों के ऊपर अंकुश नहीं लग सकता। मान्यवर, पिछले दिनों जो बदायूं की घटना हुई, हमीरपुर की घटना हुई, इत्यादि इस पर चर्चा भी हुई। मान्यवर, इसके लिये कानून बन जाने से, उस पर बैठक हो जाने से, किसी महिला अधिकारी को डिप्यूट करने से उस पर रोकथाम लग जाती तो इस पर रोक लग गई होती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का संदेश उन अपराधियों के उपर जो महिलाओं के साथ दुराचार की घटना करते हैं, करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार की धमक और इस प्रकार का एक सन्देश उन के ऊपर न जाने का क्या कारण है जिसके कारण उनको और छूट मान्यवर, मिलती है और एक घटना होने के बाद लगातार हफ्ता दस दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और अपराधियों के उपर अंकुश नहीं लगता। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें इस प्रकार से कोई सजा ऐसे लोगों को मिले जिससे पूरे प्रदेश में ऐसा संदेश जाय। यदि दिया है तो वह कौन सा ऐसा प्रकरण है जिसमें अपराधियों को सजा मिली है यदि नहीं दिया है तो क्या मान्यवर, करेंगे जिससे पूरे प्रदेश में एक भय का वातावरण हों। विशेष रुप से इस मामले को लेकर।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, महिलाओं के सिलसिले में जिस तरह की भी ज्यादती हो, प्रदेश सरकार ने, उसमें कभी किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती है और बहुत रोक हुई है। जहां तक इस प्रकार के

हादसों का ताल्लुक है यह कहना अच्छी बात नहीं है कि किस प्रदेश में कितने हैं क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं और मानसिकता तकरीबन सबकी एक सी ही है। मध्य प्रदेश तीसरे नम्बर पर है, चौथे नम्बर पर राजस्थान है और सिर्फ तीसरे और चौथे नम्बर ही नहीं है बल्कि जो रेट आफ क्राइम है महिलाओं के लिये वह उत्तर प्रदेश से तिगुना और चौगुना ज्यादा है। लेकिन इसको हम अपनी ढाल नहीं बना रहे हैं कि इसको बताकर हम यह कहना चाहें कि हम उन अपराधों को सही मान रहे हैं, बहुत बुरे हैं। लेकिन हमारा काम किसी भी मुजरिम को अदालत के दरवाजे तक पहुंचाना है, जेल के सींखचों तक पहुंचाना है। फिर उसके साथ क्या हो सकता है, उसके लिये कानून है। लेकिन कोई किसी तरह की कमी न हो इसके लिये डिपार्टमेन्टल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस को सतक्र किया गया है, ज्यादा इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये गये हैं, अलग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है पुलिस को और जैसा मैंने कहा हैल्पलाइन नम्बर 1090 दिया गया है इसमें ढाई लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं जिन पर कार्यवाही हुई है। यही तरीके हैं मान्यवर क्राइम रोकने के लिये और उसमें कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश इसको जायज नहीं कहता लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों से दूसरे प्रदेशों की तुलना करना प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, दूसरे प्रदेशों में जब वहां होगी तो वहां की विधान सभा उसके बारे में चर्चा करेगी। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है। वहां पर अपना इनके पास जो भी आधार है उस हिसाब से जाकर अपनी बात कहें लेकिन हमको उत्तर प्रदेश की चर्चा करनी है। मान्यवर, आपने अभी कहा कि लगभग ढाई लाख इस प्रकार के मामले महिलाओं के उत्पीड़न के 1090 पर मिले। मान्यवर, इसका मतलब इतने मामले हैं आपके द्वारा यह संख्या दी गई है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है, अपने जवाब में इन्होंने कहा है, आपने सुना होगा। यह जो ढाई लाख के आंकड़े बता रहे हैं इसका मतलब है कि यह ग्राफ बढ़ रहा है लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो यह जो वास्तविक संख्या है, यह संख्या कम हो और 1090 के ऊपर यदि शिकायत दर्ज होने का अवसर भी न मिले और कितनी शिकायतें दर्ज हुई, उन पर क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी है, उसके बारे में मा0 मंत्री जी बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सच को बताना चाहिए, जैसा मैंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में बताया। यह सच भी मालूम होना चाहिए कि वहां क्राइम रेट कितना ज्यादा है, महिलाओं की तादाद कितनी है और क्राइम रेट कितना ज्यादा है। यह जानकारी में आना चाहिए और यह तरीका नहीं है कि किसी शिकायत को छिपाया जाए। यह जो शिकायतें आयी है, वह हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें हैं, छेड़छाड़ की शिकायतें भी है और भी हैं, उन पर कार्यवाही होती है और हुई है, बहुत सी सही और बहुत सी गलत होती हैं। लेकिन यह आंकड़े बताये गये हैं, तो ये वह जुल्म नहीं है जिस शब्द पर यहां एतराज हुआ और मैं भी उस शब्द को लेने से परहेज कर रहा हूं, आपने भी किया है लेकिन शिकायतों के बारे में आपको बताया है और इसी की वजह से रोक हुई है और सिर्फ 1090 ही नहीं, दूसरा नम्बर-100 पर भी शिकायतें मिलती हैं और यह हेल्पलाइन इसीलिए रखी गयी है कि कोई बात छिपे नहीं और समय रहते हुए इन्हें रोका जा सके।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों को रोकने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को ट्रैफिकिंग एवं महिला प्रकरणों के सम्बन्ध में जागरुक बनाने की दृष्टि से प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है, मान्यवर, उसका कोर्स क्या है और यह कब से लागू किया गया है और पुलिस बल पर इसके प्रभाव की क्या कोई समीक्षा की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कोर्स के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, अब यह भी थोड़ा बहस का मुद्दा हो गया है, कुछ बड़े नेताओं ने यह भी कहा है कि इसको शिक्षा से निकाला जाना चाहिए। यह अब थोड़ा सा विवादित भी हो गया है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, उत्तर में बताया गया है कि मानीटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर में अपराधियों का विवरण आनलाइन है। पहला प्रश्न मेरा-कितने अपराधियों का विवरण आनलाइन है ? दूसरा प्रश्न-व्यापक कार्य योजना में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मुकदमें दिए जायेंगे ? और तीसरा प्रश्न क्या इस तरह के पीड़ितों को कानूनी और आर्थिक सहायता भी मिलेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सभी प्रश्न विचार के हैं।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो इस गंभीर विषय पर बहस हुई है, उस पर मैं एक प्रश्न तथा एक विषय रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय न रखो, केवल प्रश्न करो।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, दो मिनट की यह भूमिका है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, अप्रैल, 2013 में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट 2013 लागू हुआ था, इसको हम सब लोग पास्को कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून में प्राविधान है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों या बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने पर 01 साल तक अपराधियों को वेल नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप कानून की व्याख्या न करिए, वह सब जानते हैं। आप अपना प्रश्न करिए।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, ऐसे मामलों में जज केस को एक साल के अन्दर ट्रायल पर ले लेगा, पीड़ितों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से गवाही देने के लिए रखा जायेगा, उनका उत्पीड़न नहीं होगा और महिला अधिकारी उसकी जांच करेंगी तो यह कानून का दायरा था। जिसमें इस तरह के संगीन अपराधियों को

शिकंजे में रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कड़ा कानून बना। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस कानून के लागू होने के बाद से अभी तक प्रदेश में पास्को में कितने मामले दर्ज कराये गऐ हैं और क्या सरकार प्रदेश के सभी थानों में इस नए कानून को बहु प्रचारित-प्रसारित करेगी ? मान्यवर, हम अपने जिलों में देख रहे हैं कि इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, पास्को कानून लगते ही बहुत कड़ाई आ जाने वाली है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस समय सूचना नहीं है, मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता''। यह संस्कृति हमारे देश की रही है। और स्वाभाविक रुप से यह चिंता केवल सरकार की नहीं है बल्कि पूरे समाज की है जिस तरीके से आज महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर अपराधिक घटनायें घट रही है और जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अवगत कराया कि सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कदम उठाये जिसमें 1090 और 100 का हवाला दिया। लेकिन मान्यवर, अभी इसी 20 जून को मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद अपने जवाब में इस बात को स्वीकारा था कि जनवरी से मार्च यानि कि तीन महीने से 736 रेप की घटनायें हुयीं और इस बात को स्वीकारा कि पहले से यह घटनायें बढ़ी है। यानी कि जब खुद मा0 मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो जो सरकार की व्यवस्था है वह कहीं न कहीं अपर्याप्त है। अगर व्यवस्था पर्याप्त होती तो दुराचार के अपराधों में गिरावट आती, अपराधों में गिरावट आती। इसका मतलब है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि आपके जो उपाय है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी जानना चाहूंगा कि क्या इसको प्रभावी बनाने के लिए और कोई कठोर से कठोर कदम उठायेंगे जिससे कि महिलाओं के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लग सके और ऐसे दुराचारी जो किसी भी बहन बेटी की अस्मत को लूटने में रंच मात्र भी देर नहीं करते यहां तक कि अलीगढ़ की एक सिविल जज के साथ भी इस तरह की घटना घटित हुयी। तो उनके हौसले पस्त हों इसलिए सरकार को इस पर प्रभावी और कोई कठोर कार्रवाई करनी है तो इसके लिए सरकार की और कोई रणनीति है या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, एक तो सच यह है कि हमारी सरकार में इस प्रकार की घटनाओं को छुपाया नहीं जाता और उनकी तादाद कम करने के लिए ऐसा नहीं होता कि थानों में रपट न हो। ऐसा नहीं होता कि बलात्कार हो और थाने के बाहर लड़की की लाश टांग दी जाये। फिर भी यह कहा जाये कि बलात्कार नहीं है। इस सरकार में ऐसा नहीं होता है। जो घटनायें हैं वह बहुत निन्दनीय हैं और सरकार कैसे यह चाहेगी कि यह घटनायें बढ़ें। उन्हें रोकने के लिए हमारे पास जो भी कानून है वह सक्षम है और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी होती है। जैसे मैंने कहा कि हमारा काम उन्हें जेल के

सींखचों के पीछे भेजना है और फिर बाकी का काम अदालत का है। पूरी तरह से कड़ाई से उसका पालन हो रहा है और इसके भी आगे जितना किया जा सकता है उसकी कोशिश जारी है।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) सहित विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, डा0 साहब, इस सवाल पर 20 मिनट हो गये हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, तारांकित प्रश्न संख्या-2, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी। दादा अब आगे बढ़ गये। उसमें पूछ लेना। अरे दादा यह भी कानून व्यवस्था से संबंधित है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

देखिये, ये मेरे ऊपर आरोप है, मैं इसका निन्दा करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर मा0 सदस्य चाहते हैं कि और चले तो उन्हें आपका संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह गलत बात है, [X X X] 20 मिनट से एक सवाल पर चर्चा हो रही है, आखिर कितने समय तक एक सवाल को चलाओगे। तमाम सवाल हैं, एक ही सवाल पर सारा समय नहीं दिया जा सकता है और इस तरह से आप आरोप लगाते हैं, मैं इसकी निन्दा करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह निन्दा करने का प्रश्न नहीं है, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जिस तरह से मा0 सदस्यों को आपका संरक्षण मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरीके से [X X X] सरकार सही उत्तर न देकर के मध्यप्रदेश, राजस्थान का हवाला देती है, लखीमपुर-खीरी का हवाला देती है, कठोर कार्रवाई करने से आनाकानी करती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस रवैये के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

जाइये, जितना सवाल आपने पूछा, सरकार सबका उत्तर दिया, इसमें सरकार को बचाने का क्या सवाल है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, असल में दुखती रग पर उंगली रख गई, बसपा सरकार में क्योंकि रपट लिखी नहीं जाती थी, लाशें टांग दी जाती थीं, तो बात सच्ची आ गई ?

इसी के साथ मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आपके द्वारा नेता विरोधी दल को जो कहा गया कि आप उनकी निन्दा करते हैं, मेरे ख्याल से यह बात बड़े दुःख की है कि माननीय अध्यक्ष की पीठ से नेता विरोधी दल के लिए ऐसा कहा गया, उनके आचरण के नतीजे में। और यह बहुत

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अफसोसजनक बात है जिस तरीके से मा0 नेता विरोधी दल का अन्दाज होता है बात करने का, अध्यक्ष पीठ को उंगलियों से इस तरह से करने का। यह मेरे ख्याल से बहुत असभ्य अन्दाज है और इस पर सदन को थोड़ा सा संजीदा होना चाहिये कि बोलने, बात करने और मा0 अध्यक्ष से बात करने या उनसे अपनी बात रखने का क्या तरीका होगा। मैं समझता हूं कि जो तरीका नेता प्रतिपक्ष ने इस वक्त अख्तियार किया है और उस पर मा0 अध्यक्ष जी की यह टिप्पणी आना पूरे सदन के लिये अफसोस की बात है और उस पर नेता विरोधी दल को कम से कम, कुछ न कुछ कहना चाहिये।

प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था में सुधार हेतु कार्रवाई का विवरण

*02-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति विगत वर्ष की अपेक्षा खराब हुई है ? यदि हां, तो कानून-व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विगत वर्ष 2013 में जनपद मुजफ्फरनगर में घटित दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक घटना को छोड़कर शेष अवधि में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस की सतक्रता/सजगता तथा पुलिस अधिकारियों के घटनास्थल पर भ्रमण करने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु दिये गये आवश्यक निर्देशों तथा मुख्यालय स्तर पर किये जाने वाले अनुश्रवणात्मक कार्यवाही के फलस्वरुप नियंत्रण में रही।

प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :-

1-आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी घटना में बदलने से रोका जाय।

2-साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जा रही है:-

(1) पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

(2) कम्यूनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

(3) महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़-छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर महिला हेल्पलाइन-1090 चालू किया जाना।

(4) समाधान दिवस पर जनता की शिकायतों को गुण-दोष के आधार प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना।

(5) समय-समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिसजनों को सद्व्यवहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध मे प्रशिक्षित किया जाना।

(6) भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिये जनपदों में बनी हुई दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास करते रहना।

3-साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

4-जातिगत एवं धार्मिक तनाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्षता से कार्यवाही की जा रही है।

5-माफिया, गुण्डों, अपराधियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

6-महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

7-सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्रों के खुले प्रदर्शन व हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

8-थानों पर सभी अभियोगों का पंजीकरण कराकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

9-जनता की शिकायतों पर तत्काल सुनवायी कर उसके निस्तारण के लिए व्यवस्था की जा रही है।

10-सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 16-05-2012 का सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने सरकार से यह पूछा था कि गत वर्ष की अपेक्षा कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट है और फिर पूछा था कि इसमें सुधार के लिये क्या कार्य योजना है। सरकार ने एक मुजफ्फरनगर की घटना के अलावा शेष पर संतोष व्यक्त किया है और उपाय के सम्बन्ध में एक बहुत लम्बी फेहरिस्त मा0 मंत्री जी के द्वारा पढ़ी गयी। सीधा, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इन चीजों का प्रभाव नहीं आया है। कानून व्यवस्था की और अपराधों की स्थिति में गिरावट आयी है, तभी तो हमने यह प्रश्न पूछा। अपेक्षा हमारी यह थी कि सरकार से कि सामान्य उपाय जो सरकार के द्वारा किये गये हैं, उसके अलावा कोई बहुत गंभीर उपाय करने पर विचार कर रही है, यह प्रश्न था हमारा। मंत्री जी ने एक परंपरागत उत्तर सदन को दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि अपराधियों के हौसले पस्त हो सकें और जनता का मॉरल बढ़ता बल्कि अगर मैं कहूं कि सरकार की कुछ घटनाओं के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों के सम्बन्ध में बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, ये आनलाइन आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। इस पर मेरा प्रश्न पूछने का आधार भी नहीं था। 2012 तक के आंकड़े अपडेट हैं। मान्यवर, 2014 आधा और 2013 पूरा बीत गया अभी तक वह अपडेट आंकड़े नहीं है तो फिर सरकार किस आधार पर कहती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट नहीं है। हम लोग यदि कहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक घटनाओं के नाम पर कहते हैं। मान्यवर, मैं केवल एक घटना पर चर्चा करुंगा और बाकी मैं आपसे संरक्षण भी चाहूंगा। एक घटना है जनपद फिरोजाबाद एटा थाने की। एक ही महिला के साथ दो दुराचार की घटना हुयी। एक घटना 70/13 पर 5 नवम्बर, 2013 दूसरी घटना 3 मार्च को उसने जब 164 का बयान दिया और 4 मार्च को फिर उसके साथ घटना हो गयी। दो-दो घटनायें पंजीकृत है, मुल्जिम आज तक नहीं पकड़ा गया तो क्या फायदा है 1090 का मान्यवर। मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल यह पूछना चाहता हूं कि इधर यह भी बात

सामने आ रही है कि सिपाही और थानेदार कप्तान की सुनते नहीं है तो कैसे कानून का शासन स्थापित होगा। 2012 के आंकड़े अपडेट नहीं किये हैं अब या तो मैं कहूं प्रतिपक्ष के नाते कि वह आंकड़ों की अभी सेटिंग नहीं हुयी है इसलिये अभी फीड नहीं हुये। यह मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन चित्र जनता के सामने स्पष्ट रहे। अपडेट आंकड़े इस आन लाइन युग में नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। एक तरफ सरकार का संकल्प है आई0टी0 हब बनाने का और दूसरी तरफ उस आई0टी0 तकनीक का उपयोग करके आंकड़े अपडेट नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 2012 के बाद जून 2014 तक के आंकड़े एक तो कब तक पूरे हो जायेंगे, नम्बर-1 उसी से चित्र स्पष्ट हो जायेगा सरकार के सामने। दूसरा विषय यह है कि जो व्यवस्थायें सरकार ने बताई और उसके बाद भी अपराधों का ग्राफ गिरा है यह कड़वा सच है। हम यह कहें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं यह कहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्राइम बढ़ा है तो वहां पर विरोधी दल आंदोलन करें, समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर आंदोलन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसका आधार बनाकर अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाये तो यह उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाहता हूं कि एक तो ये आंकड़े कब अपडेट कर दिये जायेंगे और दूसरी बात यह है कि अगर सिपाही और थानेदार कप्तान की बात नहीं सुन रहे हैं तो इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठायेगी। दूसरी बात यह है कि कोई एक संदेश जायें अपराधियों के मन में अपराधी त्रस्त हो जाए तो जनता मस्त हो जाए। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अपराधी त्रस्त हो यह तो समझ में आता है, जनता मस्त न हो, जनता जागरुक हो, खुश-खुर्रम रहे, मस्ती से तो अच्छे दिन नहीं आ पायेंगे। मान्यवर, लक्ष्मीकांत जी की जो भावना है, उससे मैं अपने आप को जोड़ता हूं, सरकार को जोड़ता हूं। यह सही है कि मान्यवर, कानून के साथ-साथ जो समाज में गिरावट और बुराई आई है, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। मैं बड़ी सफाई से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र इसलिए हरगिज नहीं किया जा रहा है कि हम अपने यहां होने वाले जरायम को उससे जस्टिफाई कर रहे हैं लेकिन बताना यही है कि ऐसे-ऐसे वाकये हैं, जिस पर कानून से ज्यादा समाज शर्मिन्दा होता है। बाप बेटी के साथ कर ले दुष्कर्म, उसमें कानून से ज्यादा समाज की ज्यादा जिम्मेदारी होती है और जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, मैं अभी जब बात कर रहा था अधिकारी साहिबान से, मालूम यह हुआ है कि बहुत छोटी-छोटी जगहों पर जहां कोई इंटरनेट फेसेल्टी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, वहां एक छोटी सी दुकान पर एक शख्स है जो मोबाइल से मोबाइल में कुछ ऐसी फिल्म लोड कर रहा है, जिसे बहुत छोटी-छोटी उम्र के बच्चे 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे गिरोह बनाकर बैठे हैं और वह उन गन्दी फिल्मों को देख रहे हैं और उसके बाद जाहिर है वह उम्र कैसी होती है, तो मैं बाजपेयी जी से यही कहना चाहूंगा कि कानून तो अपना काम कर ही रहा है और करेगा लेकिन इस तरह की, जो समाज में गिरावट आई है, इसके लिए कुछ न कुछ सोचने की जरुरत है, आपने जिन-जिन वाकियात पर तव्वजोह दिलाई है, उसे मैं भी देखूंगा और एक विशेष वर्ग की तरफ आपने जो इशारा किया, मेरे ख्याल से यह एक राजनैतिक प्रश्न

है, अगर कहीं ऐसा है तो यह बात अच्छी नहीं है, और उसे बिल्कुल रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर आपने देखा होगा जितनी सख्त कार्यवाही हमने अधिकारियों के खिलाफ की है, उसमें किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया, विशेष वर्ग, जिसकी तरफ आपका इशारा गया, उनके खिलाफ भी अगर किसी कार्यवाही की जरुरत पेश आई है, तो उनके बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी मान्यवर, वह कार्यवाही हुई है और इधर आपने देखा होगा कि माहौल में बहुत बेहतरी पैदा हुई है, उसके क्या वजूहात है, वह आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और इस तरह के जराइम क्यों होते हैं, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया तो कानून के साथ-साथ हम सब मिलकर इस पर कुछ न कुछ विचार जरुर करेंगे कि ये कैसे रोका जा सकता है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक करने की अनुमति दी मैं, आपका आभारी हूं और मैं आपके माध्यम से कानून-व्यवस्था के इस प्रश्न पर जो इतना गंभीर और ज्वलंत है। खासकर महिलाओं के लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकार के द्वारा जिला स्तर पर महिला थाने बनाये गए हैं, उसमें तथा सुदूर क्षेत्र की महिलायें वहां पहुंचने में असमर्थ हो जाती है, गरीब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, वे अपनी बात नहीं पहुंचा पाती। तो क्या प्रत्येक थाने पर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी और दूसरा सरकार इस पर कार्य योजना बनाये कि तहसील या ब्लाक स्तर पर महिलाओं के थाने की व्यवस्था की जाये जिससे कि जो तमाम घटनाएं छिप जाती हैं, या वह वहां नहीं पहुंच पाती हैं, उस पर त्वरित रोक लगायी जा सके, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, व्यवस्था है और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा रहे। मान्यवर, हैरत इस बात की है मैं बाजपेयी जी बात को फिर बल दूंगा कि कितना सख्त कानून बना, कितना संगीन हादसा हुआ दिल्ली में उसके बाद कितना सख्त कानून बना और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त सजाएं भी दीं लेकिन खुद दिल्ली में ही इस तरह के अपराध घटने बजाए और बढ़ गए। ये समझ नहीं आता कि इसमें कानून की कितनी हिस्सेदारी है, पुलिस की कितनी हिस्सेदारी है और खुद समाज इसके लिए कितना जिम्मेदार है। महिलाओं के सिलसिले में होने वाले अपराधों पर विशेष रुप से मान्यवर, कोई विचार होना चाहिए।

मान्यवर, तो अगर इस सम्बन्ध में आपके कक्ष में कोई ऐसा मौका आये जब सभी पार्टी के नेतागण और नेता सदन आपके कक्ष में आ जायें और इस प्रश्न से अलग उस पर विचार हो जाये। अच्छा होगा कि यह बहस इसी सत्र के दौरान आपके कक्ष में हो जाये। ताकि यह तय हो सके, जिससे इसको कैसे रोका जाय और उससे महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार के प्रति पूरे सदन का एक सन्देश चला जाय। इस पर आप विचार करेंगे ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

श्रीमन् 2012 में कितने अपराध हुये इसके आंकड़े आपके पास हैं। 2013 में कितने में हुये हैं उसकी सूची आपके पास है। मान्यवर, इन अपराधों का बढ़ने का कारण एक यह भी है कि जब पीड़ित पक्ष के लोग थानों में रिपोर्ट लिखाने के लिये जाते हैं तो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं होता

है। निचले स्तर पर भी होता है और जब ऊपर स्तर पर जाते हैं तो वहां भी जातिवाद शब्दों का प्रयोग होता है। कोशिश यही होती है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच समझौता करा दिया जाय और मुकदमें को समाप्त करा दिया जाय। मान्यवर, इस तरीके से एक असंवेदनशील व्यवहार का परिचय दिया जाता है। मान्यवर, अगर कोई वरिष्ठतम् अधिकारी यह कहे कि जनसंख्या के आधार पर बलात्कार बहुत कम हो रहे है यहां तो प्रतिदिन 22 होने चाहिये 10 ही हो रहे हैं। तो मान्यवर, जिस अधिकारी ने यह बयान दिया है उसके विरुद्ध क्या आप कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, वरिष्ठ अधिकारी का यह भी बयान आया कि बलात्कार की घटनायें तो प्रतिवर्ष होने वाली एक सामान्य और रूटीन घटनायें है। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में हम जनता को क्या संदेश देना चाहते है।

मान्यवर, आप देंखे कि एक घटना में विवेचना हो रही थी कि विवेचना के मध्य वरिष्ठतम् अधिकारी का बयान आया कि यह हो सकता है कि ऑनर किलिंग की घटना हो, सम्पत्ति का विवाद हो सकता है। तो ऐसे अधिकारी जो गैर-जिम्मेदाराना आचरण कर रहे है तो उनके विरुद्ध शासन कोई कार्रवाई करेगा। मान्यवर, जो नये अधिनियम पर चर्चा हो रही है उसमें यह है कि अगर थानाध्यक्ष या नीचे का अधिकारी पक्ष के साथ सही व्यवहार नहीं करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो क्या शासन ने इस बात का संज्ञान लिया है कि निचले स्तर पर थानाध्यक्ष साक्ष्यों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे थानाध्यक्षों के विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमान् इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह इस प्रश्न से मुखतलिक है। मान्यवर, जिस समाचार के आधार पर जो आपने कहा है कि किसी अधिकारी ने ऐसा कहा है तो ऐसी बात कहने वाले की निन्दा करेंगे। उन्होंने बुरा कहा है। कहीं ऐसा साक्ष्य मिलता है तो अवश्य कार्यवाही करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, जो आंकड़े है, जून माह में 153 दुर्व्यवहार की घटनायें महिलायें के साथ हुई है यह बहुत बड़ी संख्या है आप केवल इसकी समीक्षा कर लें। मान्यवर, आपने कहा था कि जिस जिले और उसके थाना क्षेत्र में इस तरह की अधिक घटनायें होंगी उस थानाध्यक्ष को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा उस जिले के डी0एम0 और कप्तान को भी जिम्मेदार माना जायेगा। तो मान्यवर, इसकी समीक्षा करके क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करके आप कोई सन्देश देना चाहेंगे। ताकि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमान् जहाँ भी इस तरह की बात है उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

डा0 मो0 अयूब-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्न पूछने का हमें अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आज ला एण्ड आर्डर की जो खराब स्थिति है वह ज्यादातर दंगों से और बलात्कार तथा दुराचार की घटनाओं से है। इसमें सबसे ज्यादा समाज के कमजोर वर्ग और समाज के गरीब वर्ग इससे प्रभावित होते है। मान्यवर, सरकार ने अपने मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि सच्चर कमेटी के आधार पर जितने मुस्लिम बाहुल्य इलाके है उन

सभी में पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी उपेक्षा होती है या भेदभाव होता है इसको खत्म करने के लिये सरकार सभी थानों पर और सभी पदाधिकारियों को जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके है उसमें मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त करने का सदन को भरोसा दिलाया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या उन सभी थानों पर मुस्लिम पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था की है सच्चर कमेटी की सिफारिश के आधार पर, और ब्लाक और तहसील स्तर पर क्या उन्होंने मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त किया है अगर नहीं किया है तो वह कब तक इसे पूरा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरे पास इसकी सूची तो नहीं लेकिन यथासम्भव इस बात की कोशिश की जाती है कि इसे लागू किया जाय।

(नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान के लिये है आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने सही प्रश्न किया। मान्यवर, आपको मालूम है कि मैं इरिलीवेन्ट क्वैश्चन नहीं करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं मेरे पास वह है मैं उसको आपके पास भिजवाता हूं। हमारे फौज के बहुत सारे सैनिक जो सीमाओं की रक्षा करते हैं उनके पीछे घर परिवार का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक इसी प्रकार का प्रकरण है वह फौजी है उनकी एक 13 साल की बेटी किसी के द्वारा अपहृत कर ली गयी उसकी रिपोर्ट भी लिखाई गयी है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, उसका नाम लेना उचित नहीं है, मैं आपको दे दूंगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब यह कोई प्रश्न है, बैठिये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के रोकने की कार्य योजना

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है ? क्या यह भी सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आतंकी गतिविधियों की दृष्टि से संवेदनशील हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये कोई ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

समय-समय पर केन्द्रीय एवं अन्य राज्य इकाइयों से प्राप्त अभिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आई0एस0आई0 की गतिविधियों के दृष्टिकोण से शासनादेश दिनांक 20-10-1998 द्वारा

22 जनपद एवं शासनादेश दिनांक 7-4-2003 द्वारा 12 जनपद (कुल 34 जनपद) संवेदनशील चिन्हित किये गये हैं जिनमें आतंकवादी गतिविधियों के दृष्टिकोण से आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ भी संवेदनशील हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आई0एस0आई0 की गतिविधियों के दृष्टिगत प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये नवम्बर, 2007 में आतंकवाद निरोधक दस्ते का गठन किया गया है। आतंकवादी अभिसूचना के संकलन, उससे जुड़े अभियोगों की विवेचनों और उसके निवारण के लिये इस दस्ते को पूरा उत्तरदायी बनाया गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा निम्न कार्यवाही की जाती है :-

(1) सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण तथा वहां पर सम्पर्क सूत्र विकसित करना जहां पर राष्ट्र-विरोधी तत्व छिपने/रहने की जगह बना सकते हैं।

(2) अभिसूचनाओं का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं संकलन करना। अन्य राज्यों की अभिसूचना इकाइयों तथा केन्द्रीय एजेंसियों आदि से समन्वय स्थापित करना।

(3) राज्य में किसी आतंकवादी ग्रुप की उपस्थिति/गतिविधि के सम्बन्ध में प्राप्त अभिसूचना पर कार्यवाही करना एवं फालो-अप आपरेशन करना। ऐसे आतंकवादी ग्रुपों की मदद करने वाले एवं उनके शरणदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना एवं कराना।

(4) ऐसे आतंकवादी तत्वों, जिनके विदेशी अभिसूचना एजेन्सियों से सम्पर्क हैं, की गतिविधियों का अनुश्रवण करना।

(5) जाली मुद्रा, स्वचालित आग्नेयास्त्रों, हवाला (मनी लाण्डरिंग) विस्फोटक पदार्थों का तस्करी करने वाले तत्वों से सम्पक्र रखने वाले माफिया तत्वों, आई0एस0आई0 एजेन्टों, आतंकवादियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों को निष्प्रभावी करने हेतु उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्यवाही करना एवं अन्य पुलिस इकाइयों से सहयोग कर ऐसी कार्यवाही कराना।

(6) प्रदेश के अभिसूचना विभाग के सतत् सम्पक्र में रहकर प्राप्त सूचनाओं का अनुश्रवण करना तथा किसी विशेष जानकारी के प्राप्त होने पर अभिसूचना विभाग से सहयोग प्राप्त करना।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सरकार ने माना है कि आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जनपद संवेदनशील है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 सितम्बर, 2011 को आगरा में जय हास्पिटल में एक ब्लास्ट हुआ, कई लोग घायल हुये, उसमें अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। माननीय अध्यक्ष जी, 17 दिसम्बर, 2011 को विशाल ढाबे पर एक बम मिला, दिल्ली से एन0एस0जी0 कमान्डों आये, उन्होंने उसे निष्क्रिय किया, लेकिन उस घटना पर भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे पता लगे कि वह कौन से संगठन का काम था। माननीय अध्यक्ष जी, मार्च में तो हद ही हो गयी जब एक मंडलीय पुलिस के बड़े अधिकारी के घर के सामने होटल में आई0एम0 के दो आतंकवादी कई दिनों तक रहे और उन्होंने ताजमहल सहित कई स्थानों की पूरी वीडियों फिल्म बनाई और सदर में रेकी की और वहां से चले गये। जब उनके कुछ गुर्गे जोधपुर में पकड़े गये, जब इस घटना का खुलास हुआ कि दो आतंकवादी आगरा में कई दिन तक ठहर कर चले गये।

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा की जनता की सुरक्षा के लिये सरकार को कुछ सख्त और गम्भीर कदम उठाने चाहिये, मथुरा की जनता के लिये भी उठाने चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरे माननीय मंत्री जी से कुछ सवाल भी है और सुझाव भी देना चाहता हूं। आगरा देश का प्रमुख शहर है और पर्यटन स्थल भी है, वहां बहुत सारे लोग आते हैं और होटलों में ठहरते हैं। उनके ठहरने की पहचान का जो रिकार्ड है, वह रखा तो जाता है लेकिन कोई सख्त नियम नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव भी है और प्रश्न भी है कि अगर हम एक सेन्ट्रलाइज साफ्टवेयर डेवलप कर लें, वह पुलिस के पास रहे और जितने भी होटल है, वह उससे कनेक्टेड रहें, उसमें सारा रिकार्ड हो और जब पुलिस को इस तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो पुलिस को उस सेन्ट्रलाइज साफ्टवेयर से होटलों में ठहरने वालों की पूरी सूचना मिल सके तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा साफ्टवेयर डेवलप करायेगी जिससे वहां होटलों में ठहरने वाले सभी लोगों का रिकार्ड उसमें हो। दूसरा प्रश्न, कि जो हमारी अभिसूचना इकाई, उन्हें हम पहले से तकनीकी आधार पर उन्हें ऐसा उपकरण उपलब्ध करा दें ताकि ऐसी घटनायें होने से पहले हमें उसकी सूचना मिल सके। आगरा में जो इंटेलीजेंस एजेंसी है, चाहे भारत सरकार की एजेन्सियों हो, चाहे प्रदेश सरकार की एजेन्सी हों, उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। पहले सरकार ने एक बार प्रस्ताव भी मांगा था, अगर वहां एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना हो जाये और उसमें सभी इंटेलीजेंस एजेन्सियों का आपस में समन्वय रहे, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आगरा में ऐसे आधुनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आतंकवाद को रोकना हम सबकी ही प्रतिबद्धता है और सरकार ने इस पर बहुत काबू किया है। मैंने उत्तर में भी कहा था कि वर्ष 2007 में 5 आतंकवादी घटनायें घटित हुयी, जिनमें सीतापुर में एक, गोरखपुर में एक, लखनऊ में एक, फैजाबाद में एक और वाराणसी में एक घटना हुयी। 2008 में एक आतंकवादी घटना घटित हुयी, रामपुर में सी0आर0पी0एफ0 के गेट पर। 2009 में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुयी। 2010 में एक आतंकवादी घटना जनपद वाराणसी में घटित हुयी। उसके बाद वर्ष 2011 से 31-05-2014 तक प्रदेश में कोई आतंकवादी घटना घटित नहीं हुयी। तो इसमें काबू तो पाया गया है आपके जितने सुझाव है, एक सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल सिस्टम का जो सुझाव है, मैं समझता हूं कि वह काफी अच्छा सुझाव है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। एजेन्सियां चाहे भारत सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो, मैंने उनके लिये एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की बात पूछी थी, उसका जवाब नहीं आया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि आपके सुझाव अच्छे है और इस पर विचार करेंगे। क्योंकि जो भारत सरकार से मुताल्लिक होंगे, उसमें अकेले राज्य सरकार नहीं कर सकेगी, दोनों का समन्वय करके क्या हो सकता है। अच्छा, जैसे-जैसे समस्यायें आती हैं, वैसे-वैसे उसका हल निकाला जाता है।...आपके जो सुझाव आये हैं, उन पर विचार करेंगे। मैंने तो खुद ही कहा जो आपने

सेन्ट्रलाइज सिस्टम के बारे में जो आपने होटल्स की बात कही है अगर कहीं भी कोई क्रिमिनल है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो जाहिर है कि उसकी जानकारी पुलिस को पहले हो सकेगी, यह अच्छा सुझाव है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, वर्ष 2000 में आतंकवादी कार्यवाही में तीन लोग मारे भी गये थे।

श्री अध्यक्ष-

आपके सुझावों को मा0 मंत्री जी ने मान लिया है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसा कि आपने कबूला भी है और माना भी है कि आतंकी गतिविधियों की दृष्टि से आगरा, मथुरा और अलीगढ़ संवेदनशील है। मान्यवर, मैं मथुरा जनपद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां देश के प्रसिद्ध मन्दिर है और लाखों की संख्या में दर्शनार्थी वहीं जाते हैं। जैसे वृन्दावन में बांके बिहारी टेम्पिल, स्कॉन टेम्पिल, राधा बल्लभ टेम्पिल, राधारमन टेम्पिल, कात्यायनी टेम्पिल और मथुरा में द्वारिकाधीश का मन्दिर, विश्राम घाट, गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन का मन्दिर, बरसाना का राधारानी मंदिर जिसमें करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष दर्शालु, श्रद्धालु जाते है। वहां आतंकवादियों द्वारा कई बार चेतावनी मिल चुकी है कि वह ब्लास्ट कभी भी कर सकते हैं परन्तु कोई वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आतंकवादी कार्यवाही को रोका जा सके। क्या सरकार के पास कोई ऐसी ठोस कार्ययोजना है या बनायेगी कि इन मन्दिरों में कभी ईश्वर न करे, अल्ला न करे कि इस तरह का घटना हो और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके क्या ऐसी कार्ययोजना सरकार बनायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे साथी माथुर साहब बहुत वरिष्ठ सदस्य है शायद मैं उतनी जोर से नहीं कह सका। वर्ष 2011 से दिनांक 31-05-2014 तक कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई और मथुरा उसमें शामिल है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

गम्भीर है तो जब आपका नम्बर आये तो कहियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरा निवेदन है कि माथुर साहब से कि अशुभ न बोले शुभ-शुभ बोलें। क्यों आप इस बात की अभी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई घटना होगी, क्यों ऐसी बात आप कह रहे है, नहीं-नहीं नहीं होगी।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है इस पर सरकार की ओर से आश्वासन आना चाहिये कि वह कोई कार्ययोजना बनायेगी या नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा साहब, आश्वासन है, आश्वासन दिया। जो आपने कहा वह सब सही है, लेकिन घटना कोई नहीं हुई। मैं तो खुद ही आप से कह रहा हूं कि शुभ-शुभ बोलिये क्यों अशुभ बोल रहे हैं। तीन साल से कोई घटना नहीं हुई है और आगे भी न हो इसका प्रयास जारी है, जाहिर है कि इस पर काम हो रहा है तभी तो घटना नहीं हुई। जब-जब घटना हुई उसे आपको बता दिया गया, अब नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिन्त रहें। जैसी कार्ययोजना आप चाहेंगे वैसी बन जायेगी, आप बैठिये तो हमारे साथ।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी एक दो हफ्ते पहले बनारस में एक कार में बोरे में कुछ विस्फोटक पकड़ा गया था। जिला प्रशासन ने किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की सम्भावना व्यक्त की थी। वह गाड़ी पकड़ी गई थी, वह लोग गाड़ी छोड़कर भाग गये थे। हम प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि वह विस्फोटक क्या था और क्या उसमें कोई गिरफ्तारी हुई और मान्यवर, उसकी परिणति क्या हुई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन मैं उपलब्ध करा लूंगा लेकिन सम्भवतः वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको किसी आतंकवादी घटना से जोड़ा जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2011 में कोई घटना नहीं हुई, हमने स्थान और जगह बताई कि जय हास्पिटल में बम-ब्लास्ट हुआ और विशाल ढाबे में बम मिला तो क्या यह आतंकवादी घटनायें नहीं थी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो जवाब दिया है और जवाब में जिस आतंकवादी निरोधक दस्ते की बात कर रहे हैं उस दस्ते में केवल एक दरोगा जी और एक सिपाही केवल दो लोग है। क्या सरकार उस ए0टी0एस0 दस्ते का आधुनिकीकरण करके उसमें और संसाधन उपलब्ध करायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, और आधुनिकीकरण करा दीजियेगा बस।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर।

प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की घटित घटनाओं को रोकने के उपाय

*02-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2013 से लेकर 24-04-2014 तक प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें हुई हैं एवं इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अप्रैल, 2013 से 24-10-2014 तक प्रदेश मे 15 साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें घटित हुई है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के लिए योजनाबद्ध रुप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा समस्त मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिनांक 16-05-2012 को निर्गत किये गये हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनांक 08-09-2013 द्वारा शान्ति भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतिकूल कार्यवाही में सक्षम तत्वों को तत्परता से चिन्हित करते हुये उनकी निषेधात्मक गिरफ्तारी को अमल में लाये जाने, जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनायें घटित हुयी है, वहां समुचित रुप से निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये अराजक तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी किये जाने, शान्ति समितियों की बैठकें आयोजित किये जाने, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किये जाने, प्रत्येक संवेदनशील स्थान पर समुचित पुलिस व्यवस्था का पिकेट सुनिश्चित किये जाने तथा सीसीटीवी/वीडियो कैमरा आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी रखे जाने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। साथ ही साथ त्योहारों के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 05-10-2013 द्वारा भी आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी द्वारा जो जवाब आया है, दिसम्बर-2013 से 30 जून, 2014 तक 6 महीने हो गये इन 06 महीनों में यह प्रश्न तीन बार इस सदन में उपस्थित हुआ। 09 दिसम्बर, 2013 को यह प्रश्न मेरे द्वारा किया गया था उत्तर मिला कि 13 साम्प्रदायिक घटनायें हुई-सम्भल, बिजनौर, एटा, बहराइच, शामली, सहारनपुर, मेरठ, कन्नौज, गाजीपुर, उन्नाव, पीलीभीत, बागपत और मुजफ्फरनगर। फरवरी, में थोड़े समय के लिए सदन हुआ था उस समय फिर यह प्रश्न आया था तो उत्तर आया कि पूरे प्रदेश में 04 घटनायें हुई। दिसम्बर में जो उत्तर आया वह मेरे पास है कि 13 घटनायें हुई हैं उसके बाद फरवरी में उत्तर आया कि 04 घटनायें हुई और आज उत्तर आया कि 15 घटनायें हुई है, बाकी सारा उत्तर सेम है और पिछली बार का कापी करके दे दिया होगा। एक तो मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है फिर आगे प्रश्न करुंगा। माननीय मंत्री जी आप इन प्रश्नों की स्वाभाविक रुप से मानीटरिंग करते हैं तो अगर एक दिन पहले मानीटरिंग कर लेंगे तो आपकी मंशानुरुप, आपकी मंशा पर कोई उंगली नहीं उठाता उसके अनुरुप उत्तर आ जायेगा। आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप अगर उसी दिन मानीटरिंग करते हैं या एक दिन पहले करते हैं तो आपकी मजबूरी हो जाती है। आपने इस विधान सभा में कई बार इसको पीड़ापूर्वक कहा भी है कि मुझको जो उत्तर मिला वह मैंने दे दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 06 महीने के अन्दर एक ही सवाल के 03 विभिन्न प्रकार के उत्तर आये और बाईचांस उसमें 5-10-2011 के शासनादेशों का उद्धरण तीनों में दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास वह सूची है जो इस वर्ष जनवरी के अंतर्गत घटनायें हुई हैं अगर जनवरी और फरवरी

की घटनाओं की जानकारी करें तो मेरे पास सूची है, सरकार के पास भी होगी इसी से लगभग 20 घटनायें हुई है। तो मान्यवर, कौन सा ऐसा कारण है कि सरकार इस प्रकार की घटनाओं को छुपाने का कार्य कर रही है, एक प्रश्न तो यह है। क्योंकि सरकार अगर इसका संज्ञान नहीं भी लिया जाता तो मेरी जो जानकारी है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो सरकार के द्वारा दिये गये उत्तर है तीनों उत्तर में कौन सा ऐसा कारण है कि सरकार सही जानकारी इस सदन में नहीं रखना चाहती। दूसरा मान्यवर, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि शासनादेश जारी कर देने के बाद अगर दंगों के उपर किसी प्रकार नियंत्रण होता तो दिसम्बर में अगर शासनादेश जारी किया गया तो जनवरी, फरवरी में उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला और फरवरी में हुई शासनादेश का यहां पर उद्धरण किया गया तो जून तक उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। क्या माननीय मंत्री जी यह संदेश देंगे कि प्रदेश में कोई भी साम्प्रदायिक दंगा करने वाला हो, कोई भी का मतलब कोई भी, क्या उसके उपर सख्त से सख्त कार्रवाई यह सरकार करेगी जिससे अगली बार उत्तर में आंकड़ों की कमी आयेगी तो मुझे प्रसन्नता होगी।

मेरा एक सवाल शासनादेश और दूसरा सवाल जो तीन अलग-अलग उत्तर दिए गए हैं, उसका क्या कारण है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रश्न लगने के बाद उत्तर की तैयारी और उत्तर देने वाले दिन की समीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है उत्तर काफी पहले तैयार हो जाता है। जहां तक साम्प्रदायिक तनाव का मामला है मान्यवर, उत्तर प्रदेश पर बेशक ऐसे साम्प्रदायिकता के घने बादल छाए और इन्सानियत इतनी शर्मसार हुई और आदमी इतना गिर गया कि उसे आदमी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। किसकी-कितनी गलती थी और किसकी-कितनी गलती होगी इस पर आज की बहस से कोई लेना देना नहीं है। माहौल आज बेहतर है और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि यह माहौल बेहतर रहे। माहौल खराब करने वालों को उससे कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ यह भी पूरे देश के सामने है। किस चीज के क्या नतीजे हुए वह भी सब सामने है। खतरा इस बात का है कि एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया अगले लक्ष्य के लिए कितने लहू की जरुरत है किसको जरुरत है यह न ही बहस हो तो अच्छा है कोशिश इसी बात की है कि इन्सान इन्सान न बन सके कम से कम आदमी तो रहे उसकी कोशिश में सरकार लगी है मुजफ्फरनगर की घटना की जितनी निन्दा की जाय वह कम है जितना उस पर समाज शर्मसार हो वह कम है खिदमतगारों के साथ जो कुछ हुआ है वह सब सामने हैं उसके नतीजे जो आए हैं वह भी सब सामने हैं लेकिन सरकार इस कोशिश में है जैसे सम्भल में एक वाकया हुआ उसको सख्ती से रोका गया। कांठ में हालात खराब करने की कोशिश की गई उसको रोकने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पूरी तरह से तत्पर है। जो मुजफ्फरनगर की बात है उसकी तरफ आपका इशारा है इस पर आज के दिन हम कोई बहस नहीं करना चाहते। हालात बहुत काबू में है और माहौल बहुत अच्छा है यही माहौल रहे ऐसी हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी बात का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आपने एक अनुपूरक कर लिया अब मैंने नीरज कुशवाहा को बुला लिया है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी है मैं आपका आभारी हूं। जैसा कि सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 और वीडियो कैमरे के माध्यम से नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश में ऐसी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है कि वहां साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं और वहां पर सी0सी0 कैमरे लगा दिए गए हैं यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी तो कोई ऐसा यंत्र भी नहीं बना है और हमारी ऐसी समझदारी भी नहीं बनी है कि कहां कब क्या हो सकता है लेकिन जहां-तहां घटनाएं हुई है 15 जिले हैं जैसे सहारनपुर, मेरठ, कन्नौज, गाजीपुर, उन्नाव, पीलीभीत, बागपत, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, हापुड़, प्रतापगढ़, कानपुर। सी0सी0टी0वी0 कैमरे या वीडियो कैमरे वहां लग सकते हैं जहां बिजली की उपलब्धता हो। खेत-खलिहानों में गांव की पगडंडियों पर वहां इन्सानियत के कैमरे तो लग सकते हैं यह कैमरे नही लग सकते है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है कि उत्तर बहुत पहले तैयार हो जाता है इसका उत्तर है कि जिस दिन हमको विधान सभा में उसकी प्रति प्राप्त होती है उस दिन उस उत्तर को मानते हैं।

वह कौन से दिन पहले प्राप्त हो गया मान्यवर, तीन उत्तर अलग-अलग समय में। मान्यवर, इसका मतलब है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यदि सरकार इस प्रकार की घटनाओं को छुपाने का प्रयास करेगी और वास्तविकता स्वीकार नहीं करेगी तो उसके ऊपर कार्यवाही भी नहीं करेगी और कार्यवाही नहीं करेगी तो हम सरकार से अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप जानते हैं कि मैं तो नहीं छुपाता। अगर कोई घटना आप बतायेंगे और वह हुई है तो मैं उसको स्वीकार करुंगा। मैं नहीं छुपाता।

श्री सतीश महाना-

आप सही कह रहे हैं। मान्यवर, घटना अगर मैंने बतानी है तो मैंने इस प्रश्न को लगाना नहीं था। अगर घटना की जानकारी मैंने ही पूरे प्रदेश की देनी है तो मुझे इस प्रश्न को लगाना ही नहीं था बल्कि मुझे इसका उत्तर देना चाहिए था कि प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई है। मान्यवर, मेरा यह विषय नहीं है, यह विषय माननीय मंत्री जी का था। आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहां पर कहा गया। कल कांठ में जो घटना हुई। मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी के उत्तर में आया है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिये। अब कांठ कहां से आ गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने कांठ का जिक्र नहीं किया था। माननीय मंत्री जी ने अभी तक अपने उत्तर में कहा है। अनुपूरक वहीं से बनेगा। मैंने मुजफ्फरनगर की तरफ इशारा भी नहीं किया था पता नहीं माननीय मंत्री जी को कैसे लगा कि मैंने मुजफ्फरनगर की तरफ इशारा किया, मैंने मुजफ्फरनगर की तरफ कोई इशारा नहीं किया था। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कल कांठ के अन्तर्गत जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसके लिये जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके लिये मान्यवर, एक केन्द्रीय मंत्री वहां पर जाकर वास्तविकता की जानकारी...

श्री अध्यक्ष-

यह कहां से सवाल आ गया।

श्री सतीश महाना-

क्योंकि उसका जिक्र आ गया। उसका जिक्र नहीं आया होता तो मैं न कहता।

श्री अध्यक्ष-

यह जिक्र उन्होंने, यह तो नहीं कहा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिनके कारण वह सारी की सारी घटना हुई।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई प्रश्न नहीं। अगला प्रश्न सं0-3 लेते हैं।

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है। सही उत्तर नहीं देना चाहती, तथ्यों को छिपाना चाहती है मान्यवर, इसलिये हम इस विषय को लेकर सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री सतीश महाना उपनेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों सहित सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, उत्तर नहीं लेंगे ? चलिये बाजपेयी जी चले गये, अगला प्रश्न सं0-4 लेते हैं।

लखनऊ शहर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कार्य योजना

*03-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष लखनऊ शहर में गर्मी के दिनों में उत्पन्न होने वाली पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है और उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

लखनऊ नगर के अवस्थापना कार्यों के सुधार हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत सिटी डेवलपमेन्ट प्लान वर्ष 2006-07 में बनाया गया है। लखनऊ पेयजल योजना प्रथम चरण भाग-1, मूल स्वीकृत लागत रु0 388.61 करोड़ (पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु0 454.66 करोड़) एवं लखनऊ पेयजल योजना प्रथम चरण भाग-2, मूल स्वीकृत लागत रु0 146.565 करोड़ (पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु0 186.886 करोड़) क्रियान्वित की जा रही है।

प्रथम चरण भाग-1 की योजना में 61 नये नलकूप तथा 434 रिबोर नलकूपों के कार्य पूर्ण किये गये हैं। 05 पाइप पेयजल योजनायें पूर्ण कर जलापूर्ति की जा रही है। प्रथम चरण भाग-2 में 20 नये एवं 20 रिबोर नलकूप के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत भी 18 नये नलकूप, 24 नलकूपों की रिबोरिंग तथा 01 नलकूप के पुनर्विकास के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 17 नलकूप रिबोर कर कमीशन किये जा चुके हैं।

उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से अवशेष कार्यों को माह सितम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना लम्बित है।

उक्त के अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटर सप्लाई डिस्ट्रिक्ट-डी, पार्ट-1 पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 451.99 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कुम्भ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच हेतु गठित आयोग के सदस्य एवं रिपोर्ट में विलम्ब के कारण सम्बन्धी जानकारी

*04-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत कुम्भ मेला 2013 में 10 फरवरी, 2013 को इलाहाबाद, जं0 रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना की जांच हेतु शासन द्वारा क्या कोई आयोग गठित किया गया था ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य थे और क्या जांच पूरी हो गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो जांच में विलम्ब के कारण हैं और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस सम्बन्ध में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके एकमात्र सदस्य मा0 न्यायमूर्ति श्री ओंकारेश्वर भट्ट (सेवानिवृत्त) हैं।

जांच प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

आयोग ने जांच का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा प्रतिवेदन के लेखन का कार्य पूर्ण होने के अन्तिम स्तर पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, विगत 2013 में 10 अक्टूबर को मौनी अमावस्या के दिन सारा मेला सम्पन्न हो गया। कुशलपूर्वक। लेकिन इलाहाबाद जंक्शन पर दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हो गई जिसमें कई बुजुर्ग महिलाओं व बच्चों का देहान्त हो गया और कुछ लोग घायल हो गये। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि काफी दिन हो गये उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। उसी सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि आयोग का गठन कब किया गया था और आयोग के समक्ष जांच के बिन्दु क्या-क्या थे और क्या शासन इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी, जब वह रिपोर्ट आयेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक बहुत दुखद प्रकरण था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही मेहनत से बहुत ही दयानत से इस आयोजन को सम्पन्न कराया था। लेकिन बदकिस्मती से एक वाकया रेलवे स्टेशन पर हुआ और उसके सिलसिले में एक आयोग बनाया गया। वैसे तो दो महीने का कार्य काल था उसका। दो महीने में उसे रिपोर्ट दे देनी थी लेकिन यह समय बढ़ता चला गया। कारणों पर इसके कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता लेकिन जो मेरी जानकारी है जुलाई के आखिरी सप्ताह तक रिपोर्ट के आ जाने की उम्मीद है और अब यह कार्य काल अब और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या कोई प्रिलिम्नरी रिपोर्ट आई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी इस तरह की कोई प्रीलिम्नरी रिपोर्ट नहीं आई है।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के मृतकों की संख्या एवं परिवारों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 में केदारनाथ तीर्थ धाम तथा उसके आस-पास अत्यधिक वर्षा से प्रदेश के 988 नागरिक दिवंगत हो गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनके परिवारों को प्रमाण-पत्र व कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई ? क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त की आर्थिक सहायता के लिये रुपया 33.188 उत्तराखण्ड सरकार से आया है ? यदि हां ? तो क्या इसका वितरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के अब तक 1150 व्यक्तियों के मृत/स्थायी रूप से लापता होने की पुष्टि उत्तराखण्ड द्वारा की गयी है।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के 1150 मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों में से अब तक 948 व्यक्तियों के मृत प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड से प्राप्त हुये, जिसे वितरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है।

प्रदेश के मृत/स्थायी रूप से लापता प्रत्येक व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 5.50 लाख की दर से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिसमें प्रधानमंत्री राहत कोष की रु0 2.00 लाख, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कोष की रु0 1.50 लाख तथा मा0 मुख्य मंत्री जी के कोष की रु0 2.00 लाख की धनराशि शामिल है।

जी नहीं।

प्रदेश के मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के वारिसानों को वितरण हेतु भारत सरकार के प्रधान मंत्री राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कोष से स्वीकृत धनराशि रु0 33.18 करोड़ उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से प्राप्त हुयी है।

प्रश्नगत धनराशि भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही के वितरण का अनुरोध किया गया है।

उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन द्वारा स्थायी रूप से लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने की तय सीमा 07 वर्ष को घटाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले वर्ष 16-17 जून को उत्तराखण्ड में हुई। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मेरे प्रश्न के सन्दर्भ में, उसमें मैं दो बातें जानना चाहता हूं। नम्बर-1, जिन लोगों के सर्टीफिकेट बन गए हैं, 1150 में 202 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं और जिनके बारे में यह सर्टेन नहीं कहा जा सकता है कि उनकी क्या स्थिति है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लेकिन जिन लोगों की मौत निश्चित हो गयी, मान्यवर, ऐसे 948 लोगों के सर्टीफिकेट तो भेज दिए गए लेकिन आर्थिक सहायता की जो धनराशि है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सहायता की राशि है, वह कब तक वितरित कर दी जायेगी, जिनके बारे में यह निश्चित हो चुका है कि अब वह इस दुनिया में नहीं हैं और दूसरा सवाल यह है कि जो निर्देश दिए हैं, उनको संक्षेप में या उनकी जो हाईलाइट्स है, उनके बारे में बता सकें तो बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें जो कन्डीशन्स हैं, पहले तो एफआईआर, फिर प्रेस विज्ञप्ति, जो बदलाव किया है, फिर उसे उत्तराखण्ड सरकार को भेजा जाना और उसके बाद उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हर एक को मृत घोषित किया जाना। तो इसमें यह आसानी पैदा की गयी है। मान्यवर, जो इसमें बुनियादी

सवाल है, उसका जवाब देते हुए मुझे भी अफसोस है कि पैसा अभी तक वितरित नहीं हुआ है, यह थोड़ी सी बुरी बात है। इतने बड़े हादसे का पैसा, जो-जो केस सेटल हो गए हैं, उनका पैसा जितनी जल्दी हो सकता है, उन्हें दिया जायेगा। आज जब मुझे भी इसकी जानकारी हुई तो मैंने स्वयं भी इस पर अफसोस जाहिर किया।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मान्यवर, एक वर्ष पूर्व उत्तराखण्ड में जो हादसा हुआ, उसमें जो लोग मारे गए, उनकी संख्या तो सरकार ने बताई। लेकिन एक वर्ष के बाद भी जो शव बरामद हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोगों के शव हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना कहां होगी ?

श्री पूरन प्रकाश-

अध्यक्ष जी, घटना के एक वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी भी लोगों के शव बरामद हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें उत्तर प्रदेश के कितने नागरिक हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिए, मैंने अर्ज किया, आपने सुना नहीं। उसमें चार कन्डीशन्स हैं पहले रिपोर्ट हो, फिर उसकी अधिसूचना जारी हो, फिर वह उत्तराखण्ड सरकार को जाए, उसके बाद उत्तराखण्ड सरकार से उसकी एक्सेप्टेंस आए, यह उसमें सहूलियत पैदा की गयी है, उसमें 07 साल की शर्त भी हटा दी गयी है।

प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था हेतु ट्रैफिक सिस्टम एवं सिपाहियों की व्यवस्था कराये जाने की मांग

*06-श्री प्रदीप माथुर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े शहरों में जहां पर यातायात हेतु ट्रैफिक सिस्टम लागू है, मैं अत्यधिक व्यस्त चौराहों पर 24 घण्टे ट्रैफिक सिपाहियों की तैनाती की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो ऐसे व्यस्त चौराहों पर सुरक्षित परिवहन हेतु 24 घण्टे ट्रैफिक सिपाहियों की तैनाती एवं सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यातायात पुलिस में उपलब्ध पुलिस बल के माध्यम से प्रदेश के बड़े शहरों में व्यस्त चौराहों पर सुरक्षित परिवहन हेतु सुचारू यातायात व्यवस्था संचालित करायी जा रही है। प्रदेश के बड़े शहरों में अत्यधिक व्यस्त चौराहों/तिराहों पर प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 22.00-23.00 बजे तक ट्रैफिक

सिपाहियों की तैनाती की व्यवस्था है। प्रदेश के जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था हेतु ट्रैफिक सिग्नल स्थापित कराये गये हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में जो भी बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं। वहां की यातायात व्यवस्था इतनी छिन्न-भिन्न है कि वहां के शहरों में मूव करने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि आप कानपुर से लखलऊ से इटावा जायें या दिल्ली जायें तो कानपुर में ही इतना भयंकर जाम लगा होता है कि नेशनल हाइवे पर ही एक-एक घण्टे का टाइम लग जाता है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया कि यातायात पुलिस में उपलब्ध पुलिस बल के माध्यम से प्रदेश के बड़े शहरों के व्यस्त चौराहों पर सुरक्षित परिवहन हेतु सुचारू यातायात व्यवस्था संचालित करायी जा रही है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में यातायात पुलिस में उपलब्ध पुलिस बल में कितने इंस्पेक्टर हैं, कितने सब-इंस्पेक्टर हैं और कितने सिपाही हैं और एक प्रश्न यह है कि क्या प्रदेश सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रूप से व्यवस्थित रखने के लिये नीति बनायेगी और कोई इस तरह का मास्टर प्लान बनायेगी ? क्योंकि बातें होती हैं काम नहीं होता। जाम के झंझावटों से आप भी गुजरते होंगे। इसके अलावा तीसरा प्रश्न यह है कि आपने इसमें जिन शहरों का नाम दिया उसमें तो आपने ट्रैफिक की व्यवस्था कर रखी है लेकिन उन शहरों जैसे रामपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा, वृन्दावन, गोरखपुर, फिरोजाबाद, इटावा में ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? मान्यवर, तमाम ऐसे शहर हैं जहां जाम की स्थिति होती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वैसे तो मान्यवर, लाजवाब प्रश्न का जवाब ही क्या दिया जा सकता है। रामपुर को आप इसलिये घटा दें। क्योंकि रामपुर में व्यवस्था अच्छी है, बहुत व्यवस्थित लोग हैं और शराफत से चलना जानते हैं और यही सीख अगर आप मथुरा में भी दें तो कोई समस्या नहीं होगी। आपने संख्या पूछी है। मैं संख्या के साथ-साथ जो आपका अगला प्रश्न बनेगा उसका भी जवाब दे दूं। कितने कान्स्टेबल हैं। हापुड़ चुंगी-3 कान्स्टेबल, इब्राहम कट तिराहा-2, कचेहरी तिराहा-1, पुराना बस अड्डा-4, कल्लूपुरा चौराहा-2, लालकुंआ चौराहा-2, साजनमोड़-1, गांधीनगर कट-1, तहसील कट-1, राकेश मार्ग-1, चौधरी मोड़-2, रेलवे स्टेशन कट-2, घण्टाघर-2, सेठ मुखलदास लाल चौराहा-2, हापुड़ तिराहा-4, पटेल नगर कट-1, नया बस अड्डा-2, मेरठ तिराहा-3, हिण्डन बैराज-2, करेहड़ा कट-2, मोहननगर चौराहा-10, भोहपुरा तिराहा-2, वसुन्धरा चौक-2, बुद्ध चौक बसुन्धरा-2, सब्जी मण्डी-1, बीकानेर कट-2।

श्री प्रदीप माथुर-

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं भई अब मैं तो पूरा पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सब जोड़ लीजिये। अब यह सब जोड़कर हुये 177।

जो जिले पढ़े हैं मैंने और दूसरी भी पढ़ दूं ?

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जनपद मथुरा में आपके जितने भी चौराहों पर लगे हुये हैं, मान्यवर एक नहीं चालू है, आप जाकर मालुमात करा लें।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के अनेकों मोहल्लों में नाली का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

01-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला न्यू अम्बेडकर नगर कोटला रोड मंडी परिषद् के पीछे एवं जमुना नगर, ममता नगर रहना की आन्तरिक गलियों में नाली का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5-444455 एवं 444456 दिनांक 20-08-2013 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मो0 न्यू अम्बेडकर नगर कोटला रोड मंडी परिषद् के पीछे एवं जमुना नगर, ममता नगर रहना की आन्तरिक गलियों में नाली का निर्माण का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के विभिन्न मोहल्लों के आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

02-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला किशन नगर, ओम नगर, आसफाबाद एवं बघेल कालोनी, गंगा रिसोर्ट के सामने की आन्तरिक गलियों में नाली का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5-444458 एवं 444457 एवं 444459 दिनांक 20-08-2013 जिलाधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नोट :-तारांकित प्रश्न सं0-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मो0 किशन नगर की आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर 390 मीटर सड़क निर्माण की निविदा स्वीकृत कराते हुये निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

ओम नगर, आसफाबाद की आन्तरिक सड़कों एवं नाली निर्माण कार्य हेतु धन की उपलब्धता के आधार पर 300 मीटर सड़क निर्माण की निविदा स्वीकृत कराते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

मो0 बघेल कालोनी गंगा रिसॉर्ट के सामने आन्तरिक सड़कों के सी0सी0 निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् में महापुरुषों की क्षतिग्रस्त प्रतिमा में पैडस्टल सहित मरम्मत कराये जाने की मांग

03-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद द्वारा मो0 गांधी पाक्र में स्थित गांधी जी की प्रतिमा, स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा, मो0 सुभाष तिराहे पर स्थित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी की प्रतिमा एवं अहिंसा स्तम्भ व अहिंसा स्मारक के पैडस्टल सहित क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-क-5-444437, 444438, 444467, 444468, दिनांक 06-09-2013 अधिशासी अधिकारी, फिरोजाबाद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मो0 गांधी पाक्र में स्थित गांधी जी की प्रतिमा, स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा, मो0 सुभाष तिराहे पर स्थित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी की प्रतिमा एवं अहिंसा स्तम्भ व अहिंसा स्मारक क्षतिग्रस्त नहीं है। प्रतिमाओं के चारों ओर ट्रैफिक के कारण क्षतिग्रस्त हुयी ग्रिल एवं पैडस्टल का निर्माण एवं रंगाई-पुताई का कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेक एरिया में बन्द पड़े सीवर लाइन को चालू कराये जाने की मांग

04-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के देवरी रोड कोटली बगीची नगला कली से सैमरी इरादत नगर रोड सैमरी से एस0 एस0 पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड तक बन्द पड़े सीवर लाइन को सरकार चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त क्षेत्र में सीवर का कार्य यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ0प्र0 जल निगम-आगरा द्वारा कराये गये थे। सीवर संयोजन दिये जाने के उद्देश्य से इस सीवर लाइन को जलकल विभाग को मई, 2011 में हस्तगत कराया गया था। इसमें कोई सीवर संयोजन न होने एवं सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट चालू न होने के कारण सीवर लाइन की तत्समय जांच नहीं हो सकी थी। प्लाण्ट के चालू होने के उपरान्त कई कमियां पायी गयीं। उक्त क्रम में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई जल निगम विभाग द्वारा काफी कार्य करा दिये गये हैं। वर्तमान में इस सीवर लाइन में कुछ कार्य जल निगम द्वारा कराये जाने अवशेष हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बस्ती के पाण्डेय बाजार चौराहे पर यातायात पुलिस की व्यवस्था विषयक पत्र पर कार्यवाही

05-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में पाण्डेय बाजार बस्ती के अति व्यस्त चौराहे पर यातायात पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-04-2013 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 28-04-2013 पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य के पत्र का संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस की उपलब्धता के आधार पर प्रतिदिन 02 प्रशिक्षित यातायात होमगार्ड की ड्यूटी लगायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नये मांस प्लांट को लाइसेन्स जारी न कर पुराने प्लांटों को मांस निर्यात एवं कटान का लाइसेन्स वापसी से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

06-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0 104333120/2014 जो नये मांस प्लाट को लाइसेंस जारी न करने तथा पुराने प्लांटों से मांस निर्यात हेतु कटान का लाइसेंस वापसी से संबंधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

निजी क्षेत्रों की निर्यातोन्मुखी पशुबधशालाओं के संचालन की अनुमति/अनापत्ति एपीडा (एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथारिटी) भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इतः इसमें भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

07-श्री मनीष असीजा-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के आधार पर निरस्त]

जनपद-फिरोजाबाद में निराश्रित महिला अनुदान योजनान्तर्गत बजट के अभाव में लम्बित प्रकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

08-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निराश्रित महिला अनुदान योजनान्तर्गत 503 स्वीकृत/पात्र आवेदन-पत्र लक्ष्य/बजट के अभाव में कार्यालय में लम्बित हैं ? क्या यह सही है कि इनकी पेंशन भुगतान हेतु रु0 9.54 लाख अतिरिक्त लक्ष्य/बजट आवंटन विषयक जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 को लिखा गया पत्र सं0 488-89/प्रो0का0/वि0 पेंशन/अति0 बजट मांग/2013-14 दिनांक 03-08-2013 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अतिरिक्त मांग में उक्त मांग भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश भर के पटरी दुकानदारों को अजीविका कमाने हेतु कानूनी अधिकार देने की मांग

09-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कानून पथ विक्रेता जीविका विधेयक-2013 की भांति प्रदेश भर के रेहड़ी, पटरी एवं खोमचा लगाकर आजीविका कमाने वालों की कठिनाइयों को दूर करने एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिये उन्हें कानूनी अधिकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारोबार (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली-2007, अधिसूचना संख्या-8842/नौ-9-2007 दिनांक 04-08-2007 द्वारा निर्गत की गयी। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05-03-14 द्वारा निर्गत पथ विक्रेता (आजीविका का सरंक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014, लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा लागू पथ विक्रेता (आजीविका का सरंक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 1914 के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारोबार (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली, 2007 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार के उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नियमावली लागू की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ के नगर निगम में विज्ञापन पर घोटाले विषयक पत्र पर कार्यवाही

10-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0 10430058/2014 पर दर्ज जो नगर निगम मेरठ में विज्ञापन

पट घोटाले से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती प्रकरण में नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ से जांच करायी गयी। जांच में शिकायती बिन्दुओं को निराधार एवं तथ्यों के विपरीत पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ के नगर निगम के जल विभाग में अभियन्ताओं की नियुक्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही

11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0 10430071/2014 पर दर्ज जो नगर निगम मेरठ में जल विभाग में सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जलकल विभाग, नगर निगम, मेरठ में सहायक अभियन्ता (जल) के 02 पद तथा अवर अभियन्ता (जल) के 03 पद सृजित हैं। सहायक अभियन्ता (जल) के 02 सृजित पद के सापेक्ष, वर्तमान में दोनों पद भरे हुए हैं।

इसके अतिरिक्त अवर अभियन्ता (जल) के 03 सृजित पदों के सापेक्ष 02 पद रिक्त हैं। अवर अभियन्ता (जल) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद को संदर्भित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ के नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण विषयक पत्र पर कार्यवाही

12-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0 10430265/2014 पर दर्ज जो मेरठ नगर निगम द्वारा मेरठ महानगर में कूड़ा निस्तारण से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

महानगर मेरठ में कूड़ा निस्तारण से सम्बन्धित प्लान्ट निर्माणधीन है। कूड़ा निस्तारण हेतु प्लान्ट लगाने के लिये दिनांक 05 अप्रैल, 2010 को नगर निगम, सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0, जल निगम व ए0टू0जेड0 कम्पनी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया गया है परन्तु ए0टू0जेड0 कम्पनी द्वारा

वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में महानगर का कूड़ा-कचरा पुराने नगर निगम के टचिंग ग्राउण्ड पर फेका जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड बड़ा गांव में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने की मांग

13-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के विकास खण्ड बड़ा गांव में अग्निशमन केन्द्र न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में आगजनी से होने वाली जन एवं धन हानि को रोकने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी-जनपद मुख्यालय के अग्निशमन केन्द्र से विकास खण्ड बड़ागांव की दूरी 10 कि0मी0 है। इतः विकास खण्ड बड़ागांव में किसी भी अग्नि दुर्घटना पर अग्निशमन केन्द्र, झांसी द्वारा आसानी से नियंत्रण किया जाता है।

जनपद-आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अनेकों गांवों के मुस्लिम कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

14-श्री काली चरन सुमन-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न गांव महुआ खेड़ा, अकोला, इकथरा, मधटई, बमरौली, कटारा, नगला कली, नैनाना जाट, बिजपुरी आदि मुस्लिम कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुस्लिम कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु जनपद-आगरा को वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 232.66 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी जिसके सापेक्ष 37 कब्रिस्तानों का चयन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 347.96 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी जिसके सापेक्ष 36 कब्रिस्तानों का चयन किया गया था, इनमें ग्राम महुआ खेड़ा, अकोला, इकधरा, मधटई, बमरौली, कटारा, नगला कली, नैनाना जाट, बिजपूरी के कब्रिस्तान सम्मिलित नहीं हैं।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश के लिए रु0 200.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है उक्त योजनान्तर्गत जनपद को प्राप्त आवंटन के आधार पर जिलाधिकारी की

अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों का चयन कर चहारदीवारी निर्माण कार्य कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के नगर पंचायत वार्डों में पिच रोड एवं जल निकासी हेतु गली निर्माण की मांग

15-श्री कमाल युसुफ मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के नगर पंचायत के वार्डों में सी0सी0 रोड, पिच रोड एवं जल निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य किसी भी योजना में शामिल कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्रेषित दिनांक 11-10-2013 के क्रम में शासन के पत्र सं0 14 सी0एम0/09-01-2014-04सं0/14, दिनांक 22 जनवरी, 2014 द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से आख्या एवं प्रस्ताव मांगा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर का प्रस्ताव पत्र दिनांक 20 जून, 2014 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विकास कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था

16-डा0 मो0 अयूब-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार को बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले जिलों/ब्लाकों में) के तहत विकास कार्यों हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक परिव्यय के सापेक्ष अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार ने पूरा धन विकास कार्यों में खर्च किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्ष 2012-13 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वार्षिक परिव्यय के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रु0 317.89 करोड़ कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जा चुकी है।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज से पिछड़े मुसलमानों के विकास के लिए रंगनाथ मिश्र, कमीशन की अनुशंसा लागू करने की मांग

17-डा0 मो0 अयूब-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरी, विकास व समाजी तालीम में अन्य समाज से पिछड़े मुसलमानों के विकास के उपाय के लिये सुझाये गये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की अनुशंसा सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

रंगनाथ मिश्रा कमीशन भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट/अनुशंसा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी है। संवैधानिक रूप से कमीशन की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सुझाव, जिन पर प्रदेश स्तर से कार्यवाही सम्भव है, पर तत्परता से क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की जानकारी

18-डा0 मो0 अयूब-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार को बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (खास करके मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले जिलों में) के तहत विकास कार्यों हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक परिव्यय के सापेक्ष अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्ष 2012-13 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वार्षिक परिव्यय के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रु0 317.89 करोड़ कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जा चुकी है।

भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति एवं जनपद-मऊ में वर्षों से तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

19-डा0 मो0 अयूब-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या नगर पंचायत दोहरी घाट जनपद मऊ में उक्त नीति का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध लगभग 7 वर्षों से तैनात अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-1/3/96-का-4-2014, दिनांक 04 जून, 2014 द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति निर्गत की गयी है उक्त स्थानान्तरण नीति नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों पर भी लागू है।

उपरोक्तानुसार।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-96 पर।)

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली की कतिपय तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने की मांग

20-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2014 जो जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत आने वाले भानपुर व रुधौली तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अग्निशमन मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव पर शासन में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ के नौचन्दी मैदान मेले के विवाद को समाप्त कराये जाने की मांग

21-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10434788/2014 जो नौचन्दी मैदान जनपद मेरठ में मेले के विवाद को समाप्त कराये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में नौचन्दी मेले के सम्बन्ध में नगर निगम, मेरठ एवं जिला पंचायत, मेरठ के मध्य भूमि स्वामित्व विवाद को समाप्त करने हेतु कतिपय सुझाव दिये गये थे। नौचन्दी मेले की भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला पंचायत, मेरठ एवं नगर निगम, मेरठ के बीच अपर जिला जज, मेरठ के न्यायाल में सिविल अपील सं0-23/10 लम्बित होने के कारण सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ नगर निगम द्वारा खरीदी गई सीवर जैटिंग मशीन में धनराशि का दुरुपयोग पर कार्यवाही की मांग

22-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10435007/2014 जो जनपद मेरठ नगर निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग (टीएफसी) में खरीदी गई सीवर जैटिंग मशीन में धनराशि का दुरुपयोग करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही एवं 1016000/- रु0 की वसूली किये जाने के आदेश से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 विधायक जी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 09-12-2013 को दी गयी सूचना के परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र की कतिपय बस्तियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराये जाने की मांग

23-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के बंगालीटोला के पतालेश्वर तथा देवनाथपुरा, नगवा के मलिन बस्ती, भदैनी के माता आनन्दमयी आश्रम के पीछे के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बन्द है ? उपरोक्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की तात्कालिक व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के बंगाली टोला के पतालेश्वर तथा देवनाथपुरा, नगवा के मलिन बस्ती, भदैनी के माता आनन्दमयी आश्रम के पीछे का क्षेत्र गंगा नदी के किनारे ऊंचाई पर तथा पाइप लाइन के अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण क्षेत्र में कम दबाव की जलापूर्ति है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सुबह-शाम नियमित रूप से जलापूर्ति (कम दबाव पर) हो रही है। देवनाथपुरा क्षेत्र में जलापूर्ति का दबाव बढ़ाने हेतु एक मिनी नलकूप देवनाथपुरा स्थित पुलिस चौकी के पास लगा है। उक्त मिनी नलकूप का स्राव कम हो गया था, जिसे रि-बोर कराकर चालू करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी नगर की पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य योजना स्वीकृत है।

उपरोक्त योजना में स्वीकृत कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ नगर निगम द्वारा बरसात से पूर्व नालों की सफाई विषयक पत्र पर कार्यवाही

24-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10435022/2014 पर दर्ज जो जनपद मेरठ नगर निगम द्वारा बरसात से पूर्व नालों की सफाई करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम द्वारा छोटे-बड़े कुल 267 नालों की योजना तैयार कर सफाई कार्य कराया जा रहा है। इनमें से 36 नाले जे0सी0बी0/बड़ी पोक्रलेन मशीन/फासी मशीन से, 84 नाले को छोटी पोक्रलेन मशीन से तथा 147 छोटे नाले निगम कर्मचारियों के माध्यम से साफ कराये जा रहे हैं। अभी तक लगभग 80 प्रतिशत नालों की सफाई का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। शेष नालों की सफाई का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मेरठ में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट को शुरू किये जाने की मांग

25-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10435018/2014 पर दर्ज जो जनपद मेरठ में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट को तत्काल शुरू किये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में की गई अपेक्षानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ व निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी0एल0डी0ए0 कालोनी के पाक्र पर असामाजिक तत्वों के जमवाड़े से निजात दिलाये जाने की मांग

26-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के सेक्टर जी0एल0डी0ए0 कालोनी के आवास संख्या एस0एस0 812 के सामने बने पाक्र में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है जिससे स्थानीय आवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मकान संख्या-एस0एस0-812, सेक्टर-जी, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ के सामने लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया छोटा पाक्र स्थित है। पाक्र के चारों ओर मकान बने हुए हैं। थानाध्यक्ष, आशियाना द्वारा स्थानीय निवासियों 1-श्री विनोद कुमार, 2-श्री राजेश कुमार शुक्ला, 3-श्री सतेन्द्र मिश्रा, 4-श्री सब्बीर अली निवासीगण, एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ से वार्ता की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पाक्र में बाहर के बच्चे आकर क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट

की गेंद मकानों आदि में चली जाती है, जिससे स्थानीय निवासीगण को आपत्ति है। पाक्र में बाहरी बच्चे क्रिकेट न खेलें इस हेतु पुलिस गस्त व पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है। इस ओर सतक्र दृष्टि रखी जा रही है।

जनपद-फिरोजाबाद में नगर पालिका परिषद् सीमा के अन्तर्गत खराब सड़क एवं नालियों का निर्माण करोन विषयक पत्र पर कार्यवाही

27-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नगर पालिका परिषद् की सीमा के अन्तर्गत नालबन्दान चौराहे से रसूलपुर थाने तक मुख्य मार्ग पर क्षेत्र की जनता को खराब सड़क एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5-233770, दिनांक 23-08-2013 जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नालबन्द चौराहे से रसूलपुर थाने तक सीवर लाइन डालने हेतु जल निगम, फिरोजाबाद द्वारा खोदी गयी सड़क का निर्माण नगर पालिका परिषद, फिरोजाबाद द्वारा करवा दिया गया है। नालबन्द चौराहे से रसूलपुर थाने तक नाली पूर्व से ही निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के कतिपय एरिया में नाली का निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

28-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत नगलाभाऊ श्री हजारी लाल यादव परचूनी वालों की दुकान से लालऊ रोड मीनाक्षीपुरम् अवर जलाशय तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5 444454, दिनांक 20-08-2013 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगलाभाऊ में श्री हजारीलाल यादव परचूनी वालों की दुकान से लालऊ रोड मीनाक्षीपुरम अवर जलाशय तक नाला/नाली निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री जय प्रकाश निषाद-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तराखण्ड में मारे गये मृतकों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं मुआवजा दिलाये जाने की मांग

30-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2013 में मारे गये प्रदेश के मृतकों की संख्या 1150 है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कराकर मुआवजा दिलाये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो पीड़ित परिवारों को कब तक मुआवजा दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के अब तक 1150 व्यक्तियों के मृत/स्थायी रूप से लापता होने की पुष्टि उत्तराखण्ड द्वारा की गयी है।

हां।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के 1150 मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों में से अब तक 948 व्यक्तियों के मृत प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड से प्राप्त हुये, जिसे वितरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। शेष 202 व्यक्तियों का मृत प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया है।

भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लखनऊ में दिहाड़ी मजदूरों हेतु रैन बसेरा का निर्माण कराये जाने की मांग

31-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में दिहाड़ी मजदूरों के विश्राम के लिये रैन बसेरा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, लखनऊ द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 23 स्थायी सेल्टर होम (रैन बसेरा) विश्राम हेतु निर्मित कराये गये हैं जिसमें आश्रयहीन व्यक्तियों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों के भी ठहरने की व्यवस्था है। वर्तमान में भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 'शेल्टर फार होमलेस' योजना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के विकास नगर सेक्टर-13 व 14 की सड़क के दोनों ओर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

32-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर-13 एवं सेक्टर-14 के मध्य मुख्य सड़क जो रिंग रोड को जोड़ती है उक्त सड़क के दोनों तरफ अत्यधिक अतिक्रमण होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी हो

रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क पर किये गये अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। परन्तु आवागमन में कोई असुविधा नहीं है।

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर विभिन्न स्थानों पर किये गये अस्थायी/स्थायी अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु आगामी अतिक्रमण विरोधी अभियान के अन्तर्गत रोस्टर में सम्मिलित कर लिया गया है। निर्धारित तिथि पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधवा पेंशन का बजट बढ़ा कर पात्रता वाली आवेदिकाओं को पेंशन दिये जाने की मांग

33-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी विधवायें जो विधवा पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखने के बावजूद भी बजट के अभाव में पेंशन पाने से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विधवा पेंशन का बजट बढ़ाकर सभी पात्रता रखने वाली आवेदिकाओं को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जी हां।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-729/60-1-13-1/13(16)/13, दिनांक 18-04-2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विधवा पेंशन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में झुग्गी झोपड़ी झोपड़ी वालों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

34-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में आवास की कमी के कारण निर्धन लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर उन्हें मुफ्त आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नियन्त्रणाधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से प्रदेश के शहरी मलिन बस्तियों के पात्र निवासियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु 'आसरा योजना' का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राप्त निःशुल्क भूमि पर आवास निर्माण कर

लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में प्रदेश के शहरों में निःशुल्क उपलब्ध भूमि पर सामान्यतः भूतल तथा दो मंजिल अर्थात् तीन तलों में आवास निर्मित कराये जाने का प्राविधान है। प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल लगभग 25.375 वर्गमीटर निर्धारित है, जिसमें आवासीय कक्ष, बरामदा, रसोईघर, शौचालय एवं स्नानघर की सुविधा की उपलब्धता निर्धारित है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में 8016 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त शहरी मलिन बस्तियों के निवासियों को किफायती आवास और बुनियादी सुविधाओं सहित सामाजिक सेवाएं मुहैया कराकर शहरों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से राजीव आवास योजना का क्रियावयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी शहरों के अधिसूचित अथवा गैर अधिसूचित स्लम योजनान्तर्गत अच्छादित हैं। इस योजना में भारत सरकार के दिशा-निर्देश में सूचित लाभार्थी अंशदान प्रदेश सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः लाभार्थी को प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत भी निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना प्राविधानित है।

योजना अवधि में।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निकायों के स्वायत्तता प्रदान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

35-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10434819/2014 जो प्रदेश के निकायों में स्वायत्तता प्रदान करने हेतु 74वां संविधान संशोधन लागू करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

74वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य स्तर पर कुल 18 सुधारों को पूर्ण कराया जाना निर्धारित है। प्रदेश सरकार द्वारा इन सुधारों को पूर्ण करते हुए 74वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को लागू किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप जिला नियोजन समिति का गठन किया जा चुका है। मेट्रोपोलिटन नियोजन समिति के गठन के लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर प्रदेश के 5 कवाल टाउन एवं मेरठ शहर में एमपीसी का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जल संस्थानों का नगर निगमों में विलय किया गया है एवं नगर पालिका परिषदों में यह व्यवस्था पूर्व से ही क्रियान्वित की जा रही है। किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया गया है। अरबन सीलिंग एक्ट को समाप्त किया जा चुका है। नगरीय क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कराये जाने हेतु नागरिकों की सहभागिता हेतु वार्ड कमेटी एवं एरिया सभा के गठन के लिए नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 में आवश्यक संशोधन किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन को लागू किये जाने के दायित्व का निर्वहन निर्धारित सुधारों को पूर्ण कर किया गया है, जिससे प्रदेश के नागर निकायों की स्वायत्तता व दायित्वों में वृद्धि हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरों में आवारा जानवरों को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर/पशुओं को रोकने की क्या नीति है ? क्या सरकार इन आवारा जानवरों/पशुओं को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के नगरों में निकायों द्वारा अपने सीमित संसाधनों एवं कर्मचारियों द्वारा आवारा जानवरों/पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जाती है तथा शिकायत प्राप्त होने पर भी आवारा पशुओं को पकड़कर कांजीहाउस में बन्द किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच पश्चिमी उ0प्र0 में खोलने की मांग

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच पश्चिमी उ0प्र0 में खोलने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी तथा उक्त क्षेत्र में बेंच की स्थापना होने तक रुहेलखण्ड मण्डल का न्यायिक क्षेत्राधिकार इलाहाबाद से हटाकर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच से सम्बद्ध करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1-संघ सूची की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है अतः इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में पशु वधशाला एवं मीट प्रसंस्करण प्लाण्ट खुलवाने से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

38-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10435080/2014, जो जनपद मेरठ में राज्य सरकार द्वारा विगत 15 वर्ष से पशु बधशाला एवं मीट प्रसंस्करण प्लाण्ट खुलवाने हेतु विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं में से 13 अनुबन्धों को रद्द करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र बरेली में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प स्थापित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

39-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र 124 बरेली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर दिया गया है तथा कितने हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन अवशेष है ? क्या सरकार बतायेंगी कि अवशेष हैण्डपम्पों को अधिष्ठापन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजना नगरीय के अन्तर्गत 12 नये एवं 24 रि-बोर हैण्डपम्प स्वीकृत हुए थे जिनका अधिष्ठापन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

बरेली महानगर के नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं में कृत कार्यों विवरण

40-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बरेली महानगर में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य करा दिये गये तथा कौन-कौन से कार्य अवशेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवशेष कार्यों को कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य नगरीय एवं विकासअभिरण (सूडा), बरेली के माध्यम से बरेली महानगर में वित्तीय वर्ष 2013-14 से विभिन्न योजनाओं में कराये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

(अ) ''वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न उपयोजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष कार्यपूर्ति निम्नवत् है :-''

	लक्ष्य	**पूर्ति**
स्वतः रोजगार योजना	324	165

	लक्ष्य	पूर्ति
कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप)	4304	4304
यू0डब्ल्यू0एस0पी0 (ऋण/अनुदान)	253	60
यू0डब्ल्यू0एस0पी0 (आवर्ती निधि)	506	574

यह योजना वर्ष 2013-14 में समाप्त की जा चुकी है।

(ब) 'अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधा' योजनान्तर्गत बरेली शहर की विभिन्न बस्तियों यथा-एजाजनगर, फरीदापुर चौधरी, हुसैनबाग (लीचीबाग), परतापुर, रहपुरा चौधरी, सकलैनीनगर, सनौआ, जोगी नवादा, चक महमूद, कंजादासपुर एवं गोविन्दपुर के सम्बन्धित मोहल्लों में योजना के मानक एवं दिशा-निर्देश के अनुरुप अनुमोदित सभी 59 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

'अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधा' योजनान्तर्गत अवशेष निर्माण कार्य माह सितम्बर, 2014 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की सड़कों को जाम से निजात दिलाने सम्बन्धी योजना की जानकारी

41-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में बढ़ते वाहनों के कारण सड़कों पर जाम लगने की स्थिति के निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वर्तमान समय में जनपद लखनऊ में किसी भी स्थान पर जाम की समस्या नहीं है। वर्षा होने, वी0वी0आई0पी0, वी0आई0पी0 भ्रमण होने, जुलूस आदि निकलने, मार्गों के निर्माण कार्य होने, रोड पर खुदाई होने आदि के समय अस्थायी जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे तत्काल ड्यूटी लगाकर डावर्जन कराकर सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात का संचालन कराया जाता है।

जाम एवं दुर्घटना से बचाव हेतु जनसामान्य की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शहर क्षेत्र के अधिक यातायात दबाव वाले स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में यातायात पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है।

तैयार की गयी कार्ययोजना का संक्षिप्त विवरण† संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में गोवंश की तस्करी के रोकथाम के उपाय

42-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में गोवंश की तस्करी होती है तथा वहां से तस्कर पालतू पशुओं को नेपाल देश ले जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गोवंश की तस्करी की रोकथाम हेतु कड़े कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-97-99 पर।)

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-लखीमपुर खीरी में पशु तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कराये जाते हैं। पालतू पशुओं को नेपाल ले जाने की अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पशु तस्करी को रोकने हेतु बिन्दुओं को चिन्हित कर समय-समय पर चेकिंग करायी जाती है।

जनपद आगरा के गांव अम्बेडकर नगर विकास खण्ड बरौली अहीर में जल भराव की समस्या के निराकरण के उपाय

43-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव अम्बेडकर नगर विकास बरौली अहीर में जाटव बस्ती व मुस्लिम बस्तियों में पानी की भराव की विकट समस्या रहती है जिससे लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी विकट समस्या से निजात हेतु गांव में नाली व सी0सी0 कार्य किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गांव अम्बेडकर नगर विकास खण्ड बरौली अहीर का नगर निगम, आगरा द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। अतएव नगर निगम स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[12.21] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया बैठ जाएं, प्रश्नों पर समय समाप्त हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूं। आज दिनांक 30-06-2014 की नियम-301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईः-

पहली सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

दूसरी सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के कतिपय मार्गों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित थाना जोगिया उदयपुर के भवन निर्माण में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री विनोद कुमार शाक्य की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

पांचवी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में संचालित जिला सहकारी बैंक कर्मियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री सुशील सिंह की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

सातवीं सूचना श्रीमती हेमलता चौधरी की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

आठवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

नौवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की लखनऊ विकास प्राधिकरण की आश्रयहीन बसन्तकुन्ज योजना, हरदोई रोड मे लम्बित 308 मकानों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

बारहवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

तेरहवीं सूचना श्रीमती अनुराधा मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में ''मंगापुर'' उदयपुर के नाम से नये विकास खण्ड को बनाये जाने के सम्बन्ध में हैं।

चौदहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय क्षेत्रों की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

पंद्रहवीं सूचना श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की है।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

स्वीकृत 15 सूचनाओं में से 08 मा0 सदस्य नाम पुकारे जाने के समय सदन में अनुपस्थित रहे। इनके स्थान पर अस्वीकृत सूचनाओं में से श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री सुरेश बंसल, श्री प्रदीप माथुर, श्री संजय कपूर, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री पूरन प्रकाश, श्री अमरपाल शर्मा, श्री अजय कुमार 'लल्लू' की सूचनाओं को स्वीकार किया जाता है।

मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री पंकज कुमार मलिक की सूचना जो कि नवसृजित जनपद शामली में जनपद स्तरीय कार्यालयों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, भी स्वीकृत की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी उनके नाम निम्न हैं- श्री सतीश महाना, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री रवि शर्मा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री काली चरन

सुमन, श्री मदन चौहान, श्री रामहेत भारती, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अगयश, राम सरन वर्मा, श्री राम चन्द्र यादव, श्री सन्त राम कुशवाहा एवं श्री अनीसुर्रहमान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के कतिपय मार्गों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा जनपद महराजगंज में बृजमनगंज-सहजनवां बाबू मार्ग पर देउरवा घाट पर पुल निर्माण तथा वनदेईया-परगापुर घाट पर पुल के निर्माण हेतु मेरे अनुरोध पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा त्वरित विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्पष्ट आदेश दिया गया। इन दोनों पुलों का आगणन पी0एफ0डी0 एवं व्यय वित्त समिति की बैठक में अनुमोदित है। परन्तु अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धन अवमुक्त न किये जाने के कारण उक्त पुलों का निर्माण नहीं प्रारम्भ हो सका है। जिससे इस क्षेत्र के निवासियों में हताशा एवं निराशा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके धन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर में नव निर्मित थाना जोगिया उदयपुर के भवन निर्माण में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयप्रताप सिंह-

[महोदय,

जनपद सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित थाना जोगिया उदयपुर के निर्माण के सम्बन्ध में मेरे द्वारा एक शिकायती पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 21-01-2013 को पंजीकृत डाक से भेजा गया था जिस पर एक जांच बैठाया गया था। इस प्रकरण पर मैंने विधान सभा में अतारांके प्रश्न सं0 174, जो प्रथम सत्र 2013 में उत्तरित हुआ जिसके उत्तर में बताया गया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परन्तु अब लगभग दो वर्ष से ऊपर हो गया है और कार्यवाही पूर्ण नहीं किया गया। मान्यवर, इस थाने का निर्माण मानक के अनुसार नहीं किया गया और बनने के मात्र कुछ माह बाद ही उसका छत टपकने लगा है और प्लास्टर तथा जंगला निकल रहा है। इस थाने के निर्माण में हुए घोटाले की जांच शीर्घ पूर्ण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाय और उसका पुनर्निर्माण कराया जाय।

अतः लोक महत्व के अवलिम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराकर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में संचालित जिला सहकारी बैंक कर्मियों द्वारा किसानों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय,

सदन के संज्ञान में अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रूधौली जनपद-बस्ती में संचालित जिला सहकारी बैंक की शाखा भानपुर, रूधौली, सलटौआ, गोपालपुर के खाताधारक गन्ना किसानों को बैंक कर्मियों के द्वारा भुगतान में तरह-तरह का अवरोध एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करके तंग किया जा रहा है। खाता धारक को अपना पैसा निकालने के लिए बार-बार बैंको का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। किसान को अपने खाते से धन निकासी हेतु विड्राल (धन निकासी फार्म) भरकर शाखा प्रबन्धक/कैशियर के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित जिम्मेदार द्वारा भुगतान तुरन्त न करके एक सप्ताह बाद भुगतान देने की बात कही जाती है। जबकि चहेते लोगों को बिचौलियों के माध्यम से सुविधा शुल्क के लोभ में तुरन्त भुगतान कर दिया जाता है। सहकारी बैंक के इस कृत्य से जनमानस एवं खाता धारकों में आक्रोश है। अपने बच्चों की पढ़ाई, खेती किसानी, शादी, विवाह आदि के लिए बैंक में जमा धनराशि निकालने के लिए दबाव बनाये जाने पर उसे विड्राल में अंकित धनराशि के सापेक्ष आधा तीसरी पेमेन्ट देने की बात कही जाती है। अथवा यह कहकर खाता धारकों को वापस कर दिया जाता है कि बैंक में धन नहीं है। जिला सहकारी बैंक मुख्यालय से धन आने पर भुगतान दिया जायेगा। बैंक शाखाओं के क्रिया कलापों को देखकर खाता धारक किसान जिला सहकारी बैंक बस्ती की स्थिति भी जिला सहकारी बैंक गोण्डा की तरह तो नहीं होगा। प्रकरण जनहित, अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ विकास प्राधिकारण की आश्रयहीन बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड में लम्बित 308 मकानों के समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान लखनऊ विकास प्राधिकार की आश्रयहीन योजना बसंतकुंज योजना में हरदोई रोड योजना में गरीबों के आशियाने की तरफ ले जाना चाहता हूं। जिसमें 308 मकानों के समायोजना का प्रकरण वर्षों से लम्बित चल रहा है जबकि इन निवासियों द्वारा लगातार मकान की किस्तों का भुगतान करते आ रहे हैं।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त 308 मकानों को समायोजन कराने हेतु इसे नियम 301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[महोदय,

अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह से विडौली तक जाने वाली सड़क की मरम्मत व कस्बा गंगोह से वजीरपुर दूधला, जेहरा तक सड़क की मरम्मत व खानपुर मार्ग से तातारेड़ी जुखेड़ी सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे पूर्व में भी इन सड़कों के निर्माण हेतु अनुरोध किया जा चुका है परन्तु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सड़कों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है जिससे क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधाओं से निजात मिल सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में ''मंगापुर उदयपुर'' के नाम से नये विकास खण्ड को बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय,

मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर एक ओर पेयजल की गम्भीर समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों/सम्पक्र मार्गों के अभाव में आवागमन की भी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। सई नदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है जिसके कारण विकास खण्ड लालगंज का जो क्षेत्र सई नदी के दूसरी तरफ पड़ता है वहां के लोगों को ब्लाक मुख्यालय आने-जाने में पुल के अभाव में परेशानी होती है, - वर्षाकाल के दौरान तो यह स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो जाती है, और लोगों का विकास खण्ड लालगंज मुख्यालय पहुंचना पुरी तरह असंभव हो जाता है, जिसके कारण जहां जनहित के कार्य प्रभावित होते हैं और क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो जाता है वहीं लोगों को भी अपना कार्य कराने में दिक्कतें आती हैं। अतः भौगोलिक दृष्टिकोण से भी लोगों को अत्यन्त परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने के लिए एवं लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनहित में यह अति आवश्यक है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील लालगंज के अन्तर्गत **'मंगापुर उदयपुर'** के नाम से एक नये विकास खण्ड का सृजन किया जाय, जिससे जहां क्षेत्र का चतुर्दिक विकास होगा वहीं लोगों को भी सुविधा होगी। जनहित में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में **'मंगापुर उदयपुर'** के नाम से एक नये विकास खण्ड की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिसका प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। विकास खण्ड का सृजन न होने से जहां लोगों को परेशानी हो रही है वहीं क्षेत्रीय जनता में रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय क्षेत्रों में विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसरांय के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय चन्दौली को मुगलसरांय नगर पालिका परिषद क्षेत्र एवं चन्दौली नगर पंचायत के ब्लाक नियमताबाद एवं चन्दौली विभिन्न जगहों पर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की व्यवस्था को सुधारना जनहित में अति आवश्यक है। क्योंकि ओवर लोड के चलते आये दिन विद्युत ट्रिपिंग एवं कम बोल्टेज की समस्या बनी हुई है। जिससे कि जनमानस त्राहि-त्राहि कर रहा है। मेरे द्वारा कई बार पत्र के माध्यम से कई बार अवगत कराया जा चुका है। जिसमें कि अलीनगर, चौहान बस्ती, अलीनगर मुश्लिम बस्ती, मुगलसरांय धर्मशाला रोड, लालबहादुर शास्त्री कटरा, कसाब महाल काली महाल, मुगलचक, कैलाशपुरी नई बस्ती, रविनगर, डा0 कमला के पास हरिशंकर पुर मुश्लिम बस्ती सतपुखरी, मुस्लिम बस्ती दुलहीपुर, सकूर के भट्ठा, सिकटियां, चतुर्भुजपुर, तारनपुर, लाखापुर, खजूरगांव, न्यूमहाल 40 फिट रोड, विछड़ी, चन्दौली टाउन एरिया चन्दौली डाक बंगला इत्यादि जगहों पर नये ट्रांसफारमरों को लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नगरी क्षेत्रों में नये ट्रांसफारमरों को लगाये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के कतिपय ग्रामों की विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच अन्तर्गत गांवों में विद्युत लाइन होने के बावजूद गांव के निवासियों खम्भे, तार व ट्रांसफारमर के अभाव में बिजली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम सौगहना के मजरा पुरवा में अलग से ट्रांसफार्मर के अभाव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है इसी प्रकार से ग्राम जलालपुर हरदौपट्टी में मजरा बड़ा जलापुर में तीन खम्भे व तार न लगाये जाने से यहां के निवासी विद्युत के लाभ से वंचित हैं। विकास खण्ड जरवल के ग्राम उसका मजरा भैरोपुरवा (राजकरन वमा वाला) तथा सरयू पुरवा के निवासी भी पोलो के अभाव के कारण विद्युतीकरण के लाभ से वंचित हैं जबकि इस क्षेत्र में मात्र 3-3-3 पोल ही लगेंगे। क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपरोक्त कार्यों

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को कराये जाने की मांग करने के बावजूद भी अभी तक विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने जनमानस में हताशा व निराशा का माहौल है। ग्राम चुलम्हा के बेचई पुरवा मजरे में ट्रान्सफारमर न लगाये जाने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। व्यापक जनहित में विद्युत का लाभ दिये जाने उपरोक्त सभी कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या-67 अन्तर्गत विवेकानन्द नगर के जर्जर मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-गाजियाबाद के मेरे विधान सभा क्षेत्र 56 गाजियाबाद के अन्तर्गत वार्ड नं0-67 में विवेकानन्द नगर स्थित है, जहां की मुख्य सड़क जो मकान नं0 1144 से 530 से गुजरती है, जो कि अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उक्त सड़क से हजारों लोगों का आवागमन होता है सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण हेतु कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधित आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के ग्राम आटस से बाबूगढ़ जाने वाले मार्ग पर स्थित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद-मथुरा के मथुरा ब्लाक में आटस गांव से बाबूगढ़ सकरायां जाने वाले मार्ग पर बाये शेरगढ़ राजवाहा के ऊपर पुल जो कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है, विगत 06 माह से टूटा पड़ा है जिसके कारण लगभग 60 से 70 गांवों का आवागमन ठप हो गया है। हाल-फिलहाल में रेत की बोरियों को डालकर अस्थायी रूप से आवागमन का काम चलाया जा रहा है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह मथुरा विधान सभा क्षेत्र, गोवर्द्धन विधान सभा क्षेत्र तथा छाता विधान सभा क्षेत्र को जोड़ता है। जनहित में इस पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना अति-आवश्यक है। यह अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का प्रकरण है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा न बनने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं यह तहसील रामपुर की प्रमुख तहसील है तथा एन0एच0 87 पर स्थित है तथा उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल राज्य की सीमा पर स्थित है तथा उत्तरांचल राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा आदि पर्यटन स्थल को जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है यहां पर रोड़वेज का बस अड्डा नहीं है जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा एन0एव0 पर घंटों तक जाम लगा रहता है जिसके कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा उत्तराखण्ड के सिटकुल का भी यही मार्ग है यहां पर रोडवेज का बस अड्डा बनाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा यहां पर रोड़वेज का बस अड्डा बनाने के लिए राजस्व विभाग की भूमि भी चयनित हो चुकी है मगर धनाभाव के कारण अभी तक भूमि का हस्तांतरण परिवहन विभाग को नहीं हो पा रहा है इससे जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है तथा अक्सर धरने व प्रदर्शन कर रही है तथा सरकार द्वारा अविलम्ब यहां पर रोड़वेज बस अड्डा नहीं बनाया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ अन्तर्गत जगनेर से मिर्जापुरा की सी0ए0टी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा के मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा होते हुए मिर्जापुरा तक की सड़क बहुत जर्जर हालत में है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। केवल गड्ढे युक्त कच्चा मार्ग बनकर रह गया है, बरसात के दिनों में तो ग्राम मिर्जापुरा का सम्पक्र टूट जाता है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी में पैदल चलकर निकलना पड़ता है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 4 कि0मी0 है, सड़क निर्माण/विशेष मरम्मत न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अतिशीर्घ उक्त सड़क का निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के कतिपय मार्गों की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय,

जनपद-मथुरा में हमारे बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक-राया एवं ब्लाक बलदेव के निम्न गांवों जो कि लोक निर्माण विभाग-सी0डी0-1 मथुरा के अन्तर्गत आती है। मरम्त/नवनिर्माण के अभाव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कोई भी अन्य निम्न ग्रामों का सम्पक्र मार्ग नहीं है। इन सड़कों के मरम्मत/नवनिर्माण के अभाव में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बरसात के समय में निम्न मार्ग बन्द हो जाते हैं। जनता को आने जाने में काफी परेशानी होने के क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

1. बल्देव कजौली घाट मुख्य सम्पक्र सड़क मार्ग से नगला राधे नगला बेर तक, लगभग 2.00 कि0मी0
2. पचावर से नगला रतिया तक लगभग 1.5 कि0मी0
3. पचावर से नगला चेता भडऊगढ़ होते हुए अनौड़ा तक लगभग 5.00 कि0मी0
4. जुगसना राजवहा से बल्टीगढ़ी खेड़ तक लगभग 1.5 कि0मी
5. बल्देव जुगसना मार्ग पर सरकण्डा खेड़ा से नगला विधि होते हुए दघौटा तक लगभग 2.0 कि0मी0
6. सराया दाउद से नगला बुर्ज तक लगभग 1.5 कि0मी
7. बल्देव जुगसना मार्ग पर जुगसना से नगला मेदू तक लगभग 1.0 कि0मी0
8. पचावर कारव मार्ग पर स्थित माइनर की पटरी बल्देव राया मार्ग लगभग 1.5 कि0मी0
9. नगला पीता से पडरारी तक लगभग 2.00 कि0मी0
10. फजीयतपुर नगरिया से भंकरपुर तक लगभग 500 मीटर
11. रामपुर केसर गढ़ी मार्ग से गड़ी धनिया तक लगभग 700 मी0
12. खड़िया से चौहरी तक लगभग 900 मीटर,
13. बल्देव ब्लाक के अन्तर्गत अवैरनी से पचावर मार्ग तक मरम्मत लगभग 4.00 कि0मी0
14. मुरसैनिया से बम्बा के पुल तक लगभग 1.6 कि0मी0
15. भरउगढ़ से अनौड़ा बिजाहरी मार्ग को जोड़ने वाला सम्पक्र मार्ग लगभग 1.00 कि0मी0
16. भूड़ा से बरौली तक लगभग 1.00 कि0मी0
17. नगला बदना से कन्जौली घाट बाया नगला बैर नौहा लगभग 3.00 कि0मी0

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

18. पचावर जुगसना मार्ग से नगला गणपति तक लगभग 1.00 कि0मी0

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।

गाजियाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गाजियाबाद की साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, जिससे वहां की निचले तबके की आबादी वाली जनता को महंगे ईलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल खुलवाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड में वार्षिक अनुरक्षण व मरम्मतीकरण के लिए वर्ष 2012-2013 में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद-कुशीनगर के प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड में बिना निविदा के ही वार्षिक अनुरक्षण व विशेष मरम्मतीकरण के लिए वर्ष 2012-2013 में जो भी धन स्वीकृत किये गये वह अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड व प्रान्तीय खण्ड, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड एवं प्रान्तीय खण्ड के मिलीभगत से बिना निविदा के अपने लोगों को कार्य देकर सरकारी धन का बड़े पैमाने पर लूट किया गया है। साथ ही साथ शासनादेश का खुला उल्लंघन किया गया है, और बहुत सारी सड़के तो बनी भी नहीं, उन सड़कों का आपस में दोनों अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड व प्रान्तीय खण्ड द्वारा धन का भारी पैमाने पर गबन किया गया है। ऐसे में उक्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराना अति-आवश्यक है। इस सन्दर्भ में कई बार पत्र दिया गया है लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। इसलिए जनपद-कुशीनगर में प्रान्तीय खण्ड व निर्माण खण्ड द्वारा बिना निविदा के ही कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने एवं दोनों प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं व सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया जाना जनहित में अति-आवश्यक हैं। प्रकरण अविलम्बनीय, लोकमहत्व एवं जनहित का है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।

नवसृजित जनपद शामली में जनपद स्तरीय कार्यालयों की स्थापना दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मान्यवर,

जनपद-शामली जो कि एक नया जनपद बनाया गया है। इस नवसृजित जनपद-शामली को जनता की व्यापक मांग पर जनहित में जनपद-मुजफ्फरनगर को तोड़कर बनाया गया है, किन्तु अभी तक शामली में जनपद स्तर के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना न होने के कारण यहां की जनता को मुजफ्फरनगर में ही चल रहे मुख्यालय पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां इस नवसृजित जनपद के निवासियों को अत्यधिक परेशानी होती है वहीं उनके बहुमूल्य समय एवं धन की बरबादी होती है। इसलिए यहां पर शीघ्र जनपद स्तरीय कार्यालयों की स्थापना करायी जानी अति-आवश्यक है। इसके लिए शासन द्वारा भूमि चयन कर उस पर कार्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है किन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। यहां निवासियों में जिला स्तर पर अधिकारियों के न बैठने एवं कार्यालय न संचालित होने के कारण उनमें सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। इसलिए जनहित में नवसृजित जनपद-शामली में मुख्यालय हेतु चयनित भूमि पर विभिन्न कार्यालयों का शीघ्र निर्माण कराकर उनमें जनपद स्तरीय अधिकारियों को बैठने का आदेश शासन द्वारा पारित किया जाना अति-आवश्यक है। यह जनहित एवं लोकमहत्व का प्रकरण है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[12.28] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 30 जून, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, ये दोनों ही सूचनाएं नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

पहली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा जी की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को समाप्त कर कोई अन्य प्रभावी विधि व्यवस्था बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान जी की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिला योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की अद्यतन जानकारी अधिकारियों द्वारा न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ये दोनों सूचनाएं नियम-300 कें अन्तर्गत नहीं आतीं। अतः इनको अग्राह्य किया जाता है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[12.29] उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2010-2011[†]

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2010-2011 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा-11 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-3 में कुछ नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही अन्तर्गत दो पुलों क्रमशः बासी नदी पर स्थित टी0वी0 रोड एवं पिपराघाट के गोलाघाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सन्तोष निषाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका [††]

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड सेवरही अन्तर्गत दो पुलों क्रमशः बांसी नदी पर स्थित टी0वी0 रोड एवं पिपराघाट के गोलाघाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री संतोष निषाद व श्री राजकिशोर निरंकारी निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत ग्राम सभा चौबिया पटखौली लाला टोला के पास रामायण डोम पर व बांसी नदी पर स्थित गौरी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जय सिंह निषाद आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[†]

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही अन्तर्गत ग्राम सभा चौबिया पटखौली लाला टोला के पास रामायण डोम पर व बांसी नदी पर स्थित गौरी घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जयसिंह निषाद व श्री राजू निषाद निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं है।

[12.31] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देना चाहता हूं।

[†] छापा नहीं गया।

[††] छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 जून, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 28 जून, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखें जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 जून, 2014 से सदन में दिनांक 25, 26 तथा 27 जून, 2014 को पुरःस्थापित विधेयकों में से प्रतिदिन क्रमशः एक-एक विधेयक पर विचार एवं पारण की मदें ली जायं।

2-दिनांक 30 जून, 2014 को डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा की नियम-52 की एक घण्टे की चर्चाधीन सूचना की मद ली जाय।

3-दिनांक 01 जुलाई, 2014 को श्री मोख्तार अंसारी, श्री अखिलेश सिंह, कुं0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम सिंह व अन्य सदस्यगण की नियम-56 की एक घण्टे की चर्चाधीन सूचना की मद ली जाय।

4-तद्नुसार दिनांक 28 जून, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जून, 2014</u>

28 शनिवार
29 रविवार } बैठक नहीं होगी।
30 सोमवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसका पारण।

3-डा0 धर्मपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे-आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0हब) बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

जून, 2014

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

4-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर अग्रतर चर्चा :-

''पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

जुलाई, 2014

01 मंगलवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसका पारण।

3-डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस-पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

4-नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवनजी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कु0 कौशल सिंह, श्री राधेश्याम, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री अखिलेश सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अजय कुमार 'लल्लू', डा0 मो0 मुस्लिम, श्री मुख्तार अंसारी, श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भईया', श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री सुरेश राणा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

जुलाई, 2014

02 बुधवार — 1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसका पारण।

3-श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

> ''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

03 गुरुवार — 1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

04 शुक्रवार — 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

05 शनिवार
06 रविवार — बैठक नहीं होगी।

07 सोमवार
08 मंगलवार
09 बुधवार
10 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

11 शुक्रवार — 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

12 शनिवार
13 रविवार — बैठक नहीं होगी।

जुलाई, 2014

14 सोमवार
15 मंगलवार
16 बुधवार

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

17 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

18 शुक्रवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

*पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा आज सदन को दी गयी है, यह सदन सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जो माननीय श्री अम्बिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक उत्तर पर नेता विरोधी दल द्वारा मा0 अध्यक्ष के प्रति की गई टिप्पणी की निन्दा

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रश्नकाल के दौरान एक ऐसी टिप्पणी आयी है जो अत्यन्त असभ्य है। मान्यवर, बहुत दिनों से हम लोग ऐसा देख रहे हैं लेकिन कभी भी पीठ के प्रति ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। किसी सदस्य या नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा यह टिप्पणी करने की स्थिति उत्पन्न हुई जो निन्दनीय है और यह असाधारण टिप्पणी है।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, सदन में शोर-शराबे बहुत हुए हैं कई बार पेपरबाल फेकी गयी है, कई बार लोग मेजों पर चढ़ आये हैं लेकिन ऐसी असाधारण स्थिति कभी नहीं पैदा हुई है। मान्यवर, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि ऐसे आचरण की स्पष्ट निन्दा होनी चाहिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन में और सभी सदस्यों को समवेत् रूप से ऐसे आचरण की निन्दा करनी चाहिए। पीठ का संरक्षण सभी सदस्यों को है, सभी सदस्यों को रहता है हम अपनी बात आपसे कह सकते हैं आप मान्यवर, उस पर अनुमति देते हैं तभी तो अपनी बात हम आपसे कहते हैं। हमारा आक्षेप राजनीतिक कारणों से किसी दूसरे पर हो सकता है विपक्ष का आरोप सरकार पर राजनीतिक कारणों से कुछ हो सकता है लेकिन श्रीमन्, पीठ पर इस तरीके के आरोप और जो अंदाज हैं आरोप लगाने का इस तरीके का अंदाज किसी भी सूरत में सदन में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अगर हम सभी सीमाएं तोड़कर अपने आचरण की और यहां तक उतारू हो जायेंगे तो सदन की कोई गरिमा भी नहीं रहेगी और सदन का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा और फिर औपचारिकता पूरी करने के लिये यहां नहीं, इसलिये श्रीमन्, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी औपचारिक रूप से भी निन्दा प्रस्ताव लाने की आवश्यकता इस सदन में समझते हों तो उनको औपचारिक रूप से भी इसे लाना चाहिए और सभी दलीय नेताओं को इसमें या सदन के सभी सदस्यों को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए। प्रश्न जहां अपने अस्तित्व और अपनी गरिमा का हो तो यह औपचारिक प्रश्न मान्यवर, बाद में हल हो जायेंगे लेकिन उसके पहले इस प्रश्न का हल होना जरूरी है इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उचित समझे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और दलीय नेताओं को या जिन सदस्यों को आप सुनना चाहें सदन में यह बात पहले तय हो जाय कि कैसा आचरण हमारा रहेगा पीठ के प्रति तभी आगे का कोई मद लिया जाय यह मेरी प्रार्थना है।

*श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, आपका मान्यवर हम सब लोगों को, पूरे सदन के सभी सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है और मान्यवर, आज ही नहीं इसके पहले भी कई बार हम इस बात को बड़ी विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर चुके हैं। हमें इस बात को कहते हुए संतोष होता है, गर्व होता है कि आप जैसा संरक्षक जिस समय विधान सभा में हम सब लोगों को मिला तो हममें से प्रत्येक सदस्य का संरक्षण है। मान्यवर, कई ऐसे अवसर हैं जब हमारे ऊपर कोई व्यक्तिगत बातचीत हो उसको आप बड़े धैर्यपूर्वक और बड़ी सहिष्णुता के साथ सुनते हैं। कई ऐसे अवसर होते हैं जिसमें राजनीतिक कटुता का भी माहौल होता है तो उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से उसको वातावरण को शांत करके हम सब लोगों को सुनने का अवसर देते हैं।

मान्यवर, मेरे को भी विगत 5-6 बार से विधान सभा में आने का सौभाग्य मिला है लेकिन आपके द्वारा मान्यवर, जिस प्यार और स्नेह के साथ और जितना लम्बा समय तक जब तक हम अपनी बात कहना चाहते हैं आप उसको सुनते हैं। मान्यवर, कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जिस समय हमारे को लगता है कि आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए तो हम बड़े स्नेह और सम्मान के साथ कहते हैं कि आपकी नजर हमारे ऊपर भी हो जाय तो हमारे को भी न्याय मिल जायेगा लेकिन मान्यवर, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना जो अपने आपको थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि वह संसदीय परम्पराओं का ज्ञान रखते हैं मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और यह बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने पहले भी कही थी कि विधान सभा में हम लोगों को बराबर का अधिकार है। अगर कोई एक प्रश्न प्रस्तुत होता है उस प्रश्न के ऊपर जिस समय वह इस सदन की सम्पत्ति हो गयी आपने स्वीकार कर लिया तो सभी माननीय सदस्यों को उसके ऊपर अनुपूरक करने का अधिकार है। आज का भी प्रश्न उसी प्रकार का है। माननीय नेता प्रतिपक्ष न तो चिन्ता करते हैं कि समय से उन प्रश्नों को लगाया जाय ताकि उसके ऊपर उत्तर सुन सके और जिस समय लगाया नहीं जाता तो राजनीतिक कारणों से हम किस प्रकार से हम यहां सदन का बहिष्कार कर देते हैं। जब वह खड़े होते हैं तो हम सब लोग यह मान लेते हैं कि अब यह गये।

तो मान्यवर, जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। राजनीतिक कारणों से जिस प्रश्न के ऊपर आपकी चिन्ता नहीं है आपने उस प्रश्न का लगाया नहीं है आपने उससे सम्बन्धित कोई नोटिस नहीं दी है उसके ऊपर भी आपकी चिन्ता होती है। तो मान्यवर, आज जो प्रकरण हुआ और आपके द्वारा पीड़ा जो व्यक्त की गयी वह सिर्फ आपकी पीड़ा नहीं थी वह सदन के सभी सदस्यों की पीड़ा थी लेकिन उसके बाद भी उसके प्रति उस गलती को मानना न और उसको दोबारा दोहराने का काम किया गया। उसको जिस समय दोबारा दोहराने का काम किया गया यह बहुत ही आपत्तिजनक आचरण था और आपकी पीड़ा, आपने जो पीड़ा व्यक्त किया है हम सब पूरा सदन हम सब लोग आपके उससे जो आपका स्वभाव रहता है हम सब लोगों के संरक्षक के रूप में हम आपको उस संरक्षक के रूप में यहां पर मानते हैं और आपकी पीड़ा से हम सब लोग पीड़ित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार कि इस प्रकार का जो आचरण यहां पर विधान सभा में आज हुआ है इसका संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इसकी निन्दा होनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी सदस्य चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, आपके प्रति सम्मान और आदरभाव के साथ अपनी बात कह सके। मान्यवर, हठपूर्वक बात तो कही जा सकती है, यह हमारा हठ हो सकता है, आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपके हठ भी करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में उसको हठ और सम्मान के परे नहीं जाना चाहिये, इस बात का हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिये। जो माननीय मंत्री जी ने इस बात को रखा है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हुआ मान्यवर, यह जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबको और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि पूरा प्रतिपक्ष का संदेश उन्हीं से जाता है, उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिये।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आप पूरे सदन के संरक्षक हैं, सब आपका सम्मान करते हैं और आप जिस सहृदयता से पूरे दलीय भावना से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को संरक्षण देते हैं और अपनी बात कहने का मौका देते हैं, इस बात के लिये आप पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और सभी सदस्य इस बात का सम्मान करते हैं। आज जिस तरह का माहौल बना और जिस तरह की टिप्पणी हुयी, वह काफी खेदजनक है और आपकी पीड़ा हम सबकी पीड़ा है। आज जिस तरह की घटना घटी, उस घटना से हम सब लोग व्यथित हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की बातें सदन में न हों। चाहे वह नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हों या नेता सदन के ऊपर की गयी टिप्पणी हों या आपके ऊपर की गयी टिप्पणी हो या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में कोई भी सदस्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिये और हम सब लोग अपने आपको आपकी इस पीड़ा से सम्बद्ध करते हैं, इस आशय के साथ कि भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम इस विधान सभा परिसर में नहीं होंगे।

*श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक अनुपूरक के समय में जिस तरह से वाकया हुआ, पीठ पर इंगित किया गया, वह ठीक नहीं है। पीठ सर्वोच्च है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सब आपके साथ सहयोग करते हैं और आपका संरक्षण मिलता रहता है। लेकिन जो कुछ आज हुआ है वह वास्तव में खेदजनक है। पीठ की ओर इस तरह से इंगित नहीं किया जाना चाहिये। हम लोग कोई मामला रखते हैं, कोई बात उठाते हैं तो पीठ से ही हम आशा करते हैं लेकिन अगर पीठ के लिये ही हमारा इस तरह का आचरण रहेगा तो वह वास्तव में जो हमारे आज तक इस उत्तर प्रदेश सदन का इतिहास रहा है, यह उसके विपरीत होगा। हम और हमारा दल आज के इस वाकये के लिये जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है जो आपके साथ में पीड़ा हुयी है उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

*डा0 मो0 अय्यूब-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सहृदय हैं और आपका संरक्षण हम सभी सदस्यों को पूरी तरह से प्राप्त है और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी सदस्य के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। मगर एक बात बिल्कुल सही है कि आप सहृदय हैं और आपकी कुर्सी सर्वोपरि है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का भाव और उनकी मंशा आपकी गरिमा के प्रति आरोप लगाना या आपकी गरिमा को कम करना उनका भाव या मंशा नहीं रहा है। यह उनकी शैली और उनके प्रश्न रखने का तरीका हो सकता है। इसलिये मैं आपसे और सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस कटुता को और बढ़ावा न देने के लिये चूंकि आप सहृदय हैं और उनकी भावना ऐसी नहीं रही होगी, इसलिये इस मुद्दे को यहीं पर खत्म किया जाय।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप लोग शान्त रहें।

डा0 मो0 अय्यूब-

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि आपकी आज्ञा के बिना सरकार के माननीय मंत्री महोदय इस तरह की बात करते हैं। यह भी आपके सम्मान को कम करता है। इसलिये अगर यह निन्दा प्रस्ताव करते हैं तो इन्हें भी इस तरह का व्यवहार इस सदन में नहीं करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं क्योंकि आप सहृदय हैं और आपका संरक्षण सबको मिला हुआ है इसलिये इसको यहीं ड्राप कर दिया जाए मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप लोग शान्त हो जाएं, अब सारी बातें आ गई हैं।

*बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला विधान सभा में उठा है और इसकी आशंका बहुत दिनों से थी और इसे मैं पहले भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपसे जाहिर करता रहा हूं। अभी और जो बातें मा0 सदस्यों ने कही हैं कि आपकी सहृदयता और आपको अधिक से अधिक सदस्यों को बुलवाने और खड़ा होना सिखाने की प्रवृत्ति ने इस स्थिति में ला दिया है। मैंने बार-बार आपसे कहा है कि सदन का संचालन आप नियमावली, संवैधानिक प्रावधानों और आपकी पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप अगर आप करें तो निश्चित रूप से सदन व्यवस्थित रहेगा। हम लोगों को पीड़ा होती है, आप इस सदन में बहुत दिनों से आ रहे हैं, विपक्ष आपको अगर नियमों में नोटिस देता है और अगर आप नोटिस को नियमावली के अनुरूप, सुसंगत, अविलम्बनीय, निश्चित घटनाओं को पढ़कर अनुमति देते हैं और जो सदस्य व्यवधान पैदा करते हैं सदन में उनको चेतावनी देते, आपके पास मुंगरी है बजाने वाली, उससे उसको सचेत करते और अगर वह नहीं मानता तो आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करते कि अमुक सदस्य को आप इंगित करें और सदन से निकालने की कार्यवाही करते तो इस तरह से आपकी पीठ पर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन के सर्वोच्च शक्तिमान व्यक्ति हैं और सदन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप पर न कोई दबाव डाल सकता है, आप पर न कोई पक्षपात का आरोप लगा सकता है इतनी शक्तियां आपको दी हुई हैं, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन संचालन में आप कठोरता, संवैधानिक नियमों, नियमावली की प्रक्रियाओं और सुसंगत नियमों में नोटिस को स्वीकार करेंगे तो यह कठिनाइयां नहीं आयेंगी, यही हमको आपसे कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

बस बहुत हो गया। मा0 सदस्यगण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सही है कि आप बहुत उदार हैं, बहुत नरमदिल है और सभी को साथ लेकर चलने की आपकी हमेशा मंशा रहती है लेकिन इस पर कम से कम विपक्ष को और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों को खुद भी अपने नेता से बात करनी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि उन्हें भी शर्मिन्दगी होती होगी क्योंकि जो अन्दाज था आज और यह अन्दाज पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार उनके इस आचरण की निन्दा हो रही है, पहले भी हुई है। जो अन्दाज था वह लगता ही नहीं था कि हम किसी सभ्य माहौल में बैठे हैं। इस तरह से उंगली का इशारा करके और जो आवाज का वैल्यूम था और जो बोलचाल में कड़वाहट और एक हिकारत सी थी वह बड़ी निन्दनीय ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा शर्मनाक सी थी। ऐसे सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और भाषा का अन्दाज जितना सतही और लचर था कि इसके लिये कोई गुंजाइश नहीं है। मैं देख रहा था उस वक्त भी कि सदन बड़ा शर्मिन्दा महसूस कर रहा था अपने आपको क्योंकि नेता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष किसी एक दल के नेता नहीं होते बल्कि पूरे विपक्ष के नेता होते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वह कांग्रेस के नेता भी हैं, वह अन्य दलों के नेता भी हैं और आचरण ऐसा कि सिर्फ एक दल का रिप्रजेन्टेशन किया जाए। महाना जी ने एक बात कही उसका भी आप संज्ञान लें, आप प्रश्न लगाते नहीं, आप चर्चा के लिये तैयार नहीं होते, आपके पास वक्त नहीं, प्रश्न दूसरे का है और वाक्आउट आपका है, महज राजनैतिक लाभ लेने के लिये सदन का माहौल खराब करना। आज भी ऐसा ही हुआ कि माइलेज लेने के लिये पालिटिकल माइलेज लेने के लिये जिस तरह की भाषा का और आप जैसे व्यक्ति के लिये इस तरह की भाषा और इस तरह का अंदाज सिर्फ निन्दा करने से बात नहीं पूरी होती। इस पर हम सबको शर्मिन्दा होना चाहिए, हममें से कोई भी अगर ऐसा आचरण करे तो हम सब लोगों को मिलकर शर्मिन्दा होना चाहिए। लोकतंत्र में मान्यवर निन्दा करने से क्या होता है ? यह संदेश बाहर जाना चाहिए कि यह सदन सभ्यता का, सभ्य लोगों का और सभ्य बात करने का सदन है। बहुत कड़ुवी बातें माननीय सदस्य करते हैं, डा0 साहब की बात बहुत सख्त होती है लेकिन क्या कभी ऐसा अंदाज होता है जिससे किसी को ऐतराज हो। महाना जी की बात बहुत सख्त होती है लेकिन क्या कभी कोई ऐसा माहौल बना है जिस पर निन्दा करने की बात पेश आये। मैं सन् 1980 से बराबर इस सदन में हूं आज तक यह नहीं हुआ कि अध्यक्ष पीठ से कभी किसी की निन्दा की गयी हो और सिर्फ किसी की निन्दा नहीं, नेता प्रतिपक्ष के लिये निन्दा का शब्द अध्यक्ष पीठ से इस्तेमाल किया जाना इस पूरे सदन के लिये शर्मिन्दगी की बात है इसलिये पूरा सदन इस बात को महसूस करे और आईन्दा इस बात का ऐहतियात रहना चाहिए कि इस तरह की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए जो इस पीठ पर उंगली उठाकर पक्षपात का इलजाम लगाये और वह अंदाज हो जो अंदाज किसी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, मौर्या जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही,

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य बैठिये, बैठिये कह रहे थे।) नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी का प्रश्न था...

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

बैठिये, बैठिये [x x x]

श्री लोकेश दीक्षित-

मैं भी [x x x]

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पीठ की गरिमा का सदैव ध्यान रखता हूं और मान्यवर, मेरे शब्द कार्यवाही में हैं। यदि किसी ऐसे शब्द से जहां पीठ को चोट पहुंची है तो उसके लिये मैं खेद व्यक्त करता हूं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल संरक्षण देने की बात को लेकर के कहा था और वह मेरी पीड़ा थी कि दोनों सदनों के सभी माननीय सदस्यों को इस पीठ से हमेशा संरक्षण मिलता है। मैंने केवल इतना ही आपसे निवेदन किया था कि विपक्ष को भी आपका भरपूर संरक्षण मिलना चाहिए, चोट पहुंचाने की नीयत हमारी नहीं थी और पीठ से समय-समय पर सभी माननीय सदस्य आवश्यकतानुसार आपके संरक्षण की अपील करते हैं। मान्यवर, यदि मेरे कहीं किसी भी शब्द से आपकी भावनाओं को चोट पहुंची है तो स्वाभाविक रूप से वह खेदजनक है और मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरी मंशा कभी भी पीठ पर उंगली उठाने या सम्मान पर किसी प्रकार का संदेह पैदा करने की नहीं रही है। इसलिये मान्यवर, मैं समझता हूं कि दुर्भावना से बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं सदैव इस पीठ का सम्मान करता हूं और आज भी करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी ने अपनी बात कह ली है और हमने भी जो टिप्पणी की है उसको देख लेंगे और आवश्यकतानुसार उसे हम कार्यवाही से निकाल भी देंगे।

[1.00] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-6-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर में निर्मित श्रमिक बस्तियों के सम्भावित खाली कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पूर्वी उ0 प्र0 के अकेले फूड पाक्र का धन आवंटन होने के बावजूद गीडा के अधिकारियों की लापरवाही के कारण विकास न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की प्रदेश में सभी सूखे तालाबों एवं नहरों के कारण किसानों की आगामी खरीफ की फसल पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस पर मैंने शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक सूचना है उसका सदन संज्ञान ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आज बैठिये, अभी नहीं हो सकता।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री रामचन्द्र यादव, श्रीमती पूजा पाल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री रामहेत भारती, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री बब्बन सिंह चौहान व श्री रोशन लाल वर्मा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, हमारी सूचना भी महत्वपूर्ण है इसका सदन संज्ञान ले ले।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना से भी महत्वपूर्ण सूचना है बस्ती खाली करायी जा रही है आप दूसरे दिन दे दीजिएगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मैं दो दिन से दे रहा हूं। मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप ध्यानाकर्षण के लिए कह दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आप अपनी बात कहें। तिवारी जी आप दूसरे नियमों में लाते नियम-301 में लाते, नियम 51 में लाते आप कम्प्ल नहीं कर सकते हैं कि इसी नियम में सुनें। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वही ली जाती हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बातें कर रहे हैं जब वह सुनना ही नहीं चाहेंगे तो कठिनाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात रखें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, श्रमिक बस्तियों की इस इशू को हमने कई बार इस विधान सभा में उठाया। आपका संरक्षण भी हमें मिला है इस कारण से कि आप माननीय अध्यक्ष जी हैं और एक कारण से कि आपने इस समस्या को जिस समय आप श्रम मंत्री थे आपने इसे देखा है। दो कारण हो जाते हैं जिस कारण हमको अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। श्रमिक बस्तियां आजादी के बाद 1952 के करीब बनी थीं। मान्यवर, श्रम से सम्बन्धित मामला है श्रम मंत्री जी अगर बात करते रहेंगे वह सुनना ही नहीं चाहेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना-

1952 में यह कालोनी बनी थीं कालान्तर में 1978-79 में भारत सरकार के साथ मिलकर इन श्रमिक कालोनियों का श्रमिकों को मालिकाना हक देने की बात हुई थी उस समय किन्हीं टेक्निकल कारणों से प्रदेश और केन्द्र सरकार में आपस में समन्वय न होने के कारण से यह रुक गया होगा उसके बाद 1995 में फिर सरकार ने एक निर्णय लिया कि इन श्रमिक कालोनियों को वहां के मूल आवंटियों को बेचने की बात हुई। उस समय मूल्य इतने ज्यादा रख दिये गये थे कि बहुत सारे श्रमिकों ने अपनी सहमति नहीं दी थी बहुतों ने अपनी सहमति भी दी थी और उसके लिए पैसे भी जमा कराये थे उस शासनादेश के अनुसार सरकार की मंशा के अनुसार श्रमिकों को उसका मालिकाना हक नहीं दिया गया 1995 के बाद आज 2014 है 20 वर्ष हो गये हैं इतने वर्षों से उन कालोनियों का रख-रखाव पूरी तरह से बन्द है। मान्यवर, आपने यह कालोनियां देखी भी हैं और जानते भी होंगे कि ऊपर दो क्वार्टर्स हैं और उन तक सीढ़ी जाती है तो सीढ़ी पूरी तरह से गिर गयी ऊपर वालों तक पहुंचने का रास्ता नहीं है सरकार ने अपनी तरफ से उनका रखरखाव बन्द कर दिया तो ऊपर वाले पहुंचे कैसे। अगर अपने पैसे से उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण कर लिया तो अगर उन्होंने सुविधा शुल्क इसके लिए नहीं दिया तो वह घर के अन्दर भी नहीं घुस सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल तक जिन कालोनियों का रखरखाव नहीं हुआ उनको बचाये रखने के लिए वहां के श्रमिकों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा लगाकर उसको बचाने का प्रयास किया पिछली बार यहां पर श्रम मंत्री जो थे दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दूसरे को यह जिम्मेदारी दी गयी मेरी उनसे बात हुई थी उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था मैं प्रमुख सचिव गृह से मिला भी था उन्होंने स्वीकार भी किया था मैं इस बात को आन द रिकार्ड कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं उन्होंने कहा था कि सरकार ने इन कालोनियों का मालिकाना हक वहां पर रहने वालों को देने का फैसला कर लिया है। केवल उसकी मौडेलिटी तय कर रहे थे उसकी सारी प्रति मेरे पास है उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि क्या रेट होगा किस हिसाब से पैसे लिए जायेंगे अगर श्रमिकों के पास पैसा नहीं है तो उनको किस हिसाब से लोन उपलब्ध कराया जायेगा सरकार के माध्यम से और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से यह संदेश श्रमिक कालोनियों तक जाता रहा कि इनका मालिकाना हक आपको मिलने वाला है। उसमें हो सकता है कि दो, चार, पांच प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जो उसकी पात्रता श्रेणी में नहीं आते होंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 5 प्रतिशत लोगों का संज्ञान यहां पर लिया और उन्होंने यह कहा कि श्रमिक कालोनी में जो बी0एम0डब्ल्यू0 ओन करता है, वह उसमें रहता है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि 2,4,5 प्रतिशत ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन मान्यवर, उन 5 प्रतिशत के लिए 95 प्रतिशत जो मजदूर हैं, गरीब हैं वहां पर किसी फैक्ट्री में चार हजार रूपये, 5 हजार रूपये महीने पर काम करता है। कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी लगाता है, उनको उसमें नहीं घसीटना चाहिए था। उनका कोई दोष नहीं था। इधर मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां उन कालोनी को बेचने का हमारी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

उनके साथ ही मान्यवर, उन्होंने यह कह दिया कि हम उनको खाली कराने का काम करेंगे। मान्यवर, यह सत्य है और मैं विधान सभा में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि लगभग 30 हजार से ज्यादा इस प्रकार की कालोनीज हैं। कानपुर महानगर में ही

20 हजार से ज्यादा कालोनीज हैं। मान्यवर, आप 30 हजार गरीब मजदूर लोगों को खाली नहीं करवा पायेंगे। मै। सच कह रहा हूं, आप इसको मानिये या न मानिये। मान्यवर, वहां इतना बड़ा आन्दोलन, मैं स्वयं इस आन्दोलन में खड़ा हूंगा, अगर सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही सोचती है तो मान्यवर, मैं कानून के बाहर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अगर गरीब आदमी का उत्पीड़न होता है तो उस सीमा को लांघने की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ खड़ा रहूंगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जिसने 1995 में बेचने का निर्णय लिया फिर उसके बाद फिर मान्यवर, एक नीति बना लें उसमें मैंने श्रेणियां बतायी थीं कि जो मूल आवंटी हैं, वह या उनका परिवार है जो आज भी मजदूर की श्रेणी में आता है। उनको मान्यवर, निःशुल्क दे दें और ऐसे लोग जिन्होंने कालोनीज बेच भी दी है, यह भी सत्य है। जिनको बेच दिया मान्यवर, वह किस श्रेणी के हैं, उनके ऊपर सक्रिल रेट के आधार पर पैसा ले लें। 95 प्रतिशत लोगों को 5 प्रतिशत लोगों के साथ नहीं जोड़ा जाय जो उस कालोनी को तोड़कर अगर किसी ने अपना मकान बना लिया, वहां पर बंगला बना लिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उन 95 प्रतिशत मजदूरों को जो वहां पर रह रहे हैं, उनके मन से यह भय समाप्त हो। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, कि बहुत सारे लोगों को ऐसे पिक एण्ड चूक के आधार पर नोटिस दी जा रही है। नोटिस अगर दी गयी है तो मान्यवर, आप सही और गलत की एक श्रेणी बनाते हैं कि जिनको आपने नोटिस दी है क्या वही लोग गलत हैं ? उसके अलावा दूसरे लोग नहीं हैं क्या ? इसका मतलब अगर सब लोग गलत हैं तो आपको सबको नोटिसेज दी जानी चाहिए थी और पिक एण्ड चूज इसलिए मान्यवर, कि जो सेवा हो जाती है तो उसके हिसाब से उसका काम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

बस मान्यवर, एक मिनट, आपका आदेश सर माथे पर। केवल पिक एण्ड चूज के आधार पर वहां पर। वहां पर एक भय का वातावरण है। लोगों में एक असुरक्षा की बात है। मान्यवर, वह गरीब आदमी एक कमरे में, मान्यवर कोई बी0एम0डब्ल्यू0 वाला आदमी एक कमरे में नहीं रहेगा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं बी0एम0डब्ल्यू0 वाला आदमी दो कमरे के मकान में भी नहीं रहेगा। अगर वह दो कमरे के मकान में रह रहा है तो उस बी0एम0डब्ल्यू0 वाले की जांच करायी जानी चाहिए कि वह पैसा कहां से लाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अंतिम बात बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जो मजदूर वहां पर रह रहे हैं सरकार ने जो पॉलिसी पिछले दिनों विचाराधीन थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें श्रेणियां बना लें और उनको उनका मालिकाना हक दें। सरकार की तरफ से यह संदेश जरूर जाय कि जब तक सरकार अंतिम निर्णय नहीं लेती तब तक उनके मन में किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव नहीं हो। खाली भी नहीं कराया जायेगा जब तक यह नीति बनेगी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, तात्कालिक है, वहां लोगों के मन में असुरक्षा का भाव है इसलिए इसके महत्व को देखते हुए आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

मान्यवर, आप स्वयं इस विभाग में मंत्री रहे हैं और आपको पूरी जानकारी है कि कितने सक्षम लोग वहां इन मकानों पर कब्जा किये हैं। सम्भवतः यह भी जानकारी है कि किन-किन के कालेज वहां चल रहे हैं? कौन कालेज चला रहा है, कौन अस्पताल चला रहा है। आपको यह भी जानकारी है माननीय अध्यक्ष जी, कि उनको संरक्षण देने वाले भी उन्हीं में बसने वाले लोग हैं। जहां तक उसको बेचने का सवाल है, सरकार उनको बिल्कुल बेचने नहीं जा रही क्योंकि उन पर हमारा सीधे-सीधे मालिकाना अधिकार भी नहीं है। पॉलिसी पहले बनी थी, कुछ पैसे उसमें जमा हुए थे। दो तीन शहरों में महाना जी को मालूम है, कानपुर, गोरखपुर और दो एक शहर में और कुछ पैसे जमा हुए थे। बाकी पैसे भी उन लोगों ने दूसरी किश्त के रूप में जमा नहीं किये। मामला पैसे जमा नहीं होने की वजह से वहीं पेंडिंग रह गया। अगर अब कोई बात इस तरह की आयी है तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि सरकार का भी मालिकाना हक उस पर नहीं है, यह कार्यवाही में आया है, यदि कार्यवाही में नहीं है तो मुझे रोक देना कि ऐसा नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा। मान्यवर, अगर मंत्री जी ने कहा है कि सरकार का उस पर मालिकाना हक नहीं है, तो उस पर मालिकाना हक किसका है, यह तय होना चाहिए।

श्री शाहिद मंजूर-

अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य को जानकारी है कि यह कालोनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के सहयोग से बनी थी। हमारा सीधा-सीधा मालिकाना हक नहीं है, उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट भी शामिल है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उनको बेचने का एक आदेश जारी हुआ था, मा0 मंत्री जी आपकी भी जानकारी में होगा। अध्यक्ष जी, मैने जो मांग की है, अगर मंत्री जी कह दें कि हम उस पर विचार करेंगे तो हम बैठ जायेंगे। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे नियम-56 के अन्तर्गत हमने दिया है। मान्यवर, मंत्री जी से यही कहलवा दीजिए कि भारत सरकार से बात करने के बाद ही खाली करवायेंगे।

श्री शाहिद मंजूर-

अध्यक्ष जी, महाना जी को मालूम है कि किन-किन के इलिगल कब्जे हैं। थोड़ी सी शुरुआत करायें कब्जा हटवाने की फिर आगे की बात आगे होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

नहीं, मान्यवर, उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन इससे आप उन 95 प्रतिशत मजदूरों के साथ अन्याय करेंगे। मान्यवर, बड़ी गंभीर बात है। मान्यवर, मंत्री जी एक प्रकरण को इस प्रकार से

उलझाना चाहते हैं और 95 प्रतिशत मजदूरों की चिन्ता नहीं करना चाहते हैं, यह गंभीर बात है। मा0 मंत्री जी जो कहना चाहते हैं, वह कहें कि विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है। आप जो कहेंगे क्या मंत्री जी वहीं कहेंगे ? अब आप बैठिये। मैंने इस सूचना पर श्री सतीश महाना को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की।

डा0 राधा मोहन अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे पूर्वांचल के विकास से सम्बन्धित इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बहुत तात्कालिक विषय है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था पर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए थे। बाहर उनके ऊपर पुलिस ने लाठी-चार्ज कर दिया है और कई कार्यकर्ता घायल हो गये हैं। मान्यवर, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को हक होता है, लेकिन मान्यवर, अगर शान्तिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात कहने का हक नहीं मिलेगा तो .....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने सूचना दे दी है, बैठिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत तात्कालिक विषय है। मैंने जो सूचना दी है, बहुत ही तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी पीछे इशारा कर रहे हैं। अगर आपको दवा कराने जाना है तो चले जाइये। उठाना है तो किसी नियम में उठाइये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी-अभी विधान सभा के बाहर यह घटना हुई है, वहां लाठी चार्ज किया गया है, कई लोग उसमें घायल हैं। यह तात्कालिक है, इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। अगर लोकतंत्र में भी अपनी बात कहने का हक नहीं है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग घायल हुए हैं, अगर उनको अपनी बात कहने का भी हक नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसका जवाब जरूर आये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल में आ गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, केवल एक बात कहना है। उस लाठी-चार्ज का कोई औचित्य नहीं था। कोई अगर प्रदर्शन करके अपनी बात कहना चाहता है तो लाठी-चार्ज करने की आवश्यकता क्या थी ? मान्यवर, हम इस लाठी-चार्ज की निन्दा करते हैं और आपसे मांग करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये, जिन्होंने लाठी-चार्ज कराया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपके नेता ने बात को रख दिया है, सरकार के संज्ञान में भी बात आ गयी। अब आप अपनी जगह पर चलें।

श्री रवीन्द्र भड़ाना-

अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रजातंत्र में इस प्रकार से किसी की बात को दबाया नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आपने तात्कालिक प्रश्न रख दिया है, अब क्या कहना चाहते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के वेल में आकर एक साथ बोलने एवं नारे लगाने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया, व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, यह सूचना सदन के संज्ञान में आ गयी।

(शोर शराबे के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं सरकार से सिर्फ यह आश्वासन चाहता हूं कि जो हमने सूचना दी है सरकार इस पर कार्यवाही करे। जिन्होंने यह लाठीचार्ज किया है उसमें जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्रवाई करें। मान्यवर, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। कई लोग घायल हैं। मा0 मंत्री जी यह तो कम से कम कहें कि जानकारी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, इसे दिखवा लेंगे और जो जरूरी कार्रवाई होगी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब अपने स्थान पर चलें।

(भाजपा के मा0 सदस्य अपने स्थान पर चले गये)

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी दो दिन पूर्व इस सदन में चर्चा हुई थी प्रश्नकाल के दौरान, आप स्वयं थे और आपने देखा होगा। जितने लघु और सूक्ष्म और मध्यम इकाइयां पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई हैं पूरे प्रदेश की तुलना में वह दस प्रतिशत हैं। यह विषय सदन में मैंने प्रश्नकाल के दौरान लिया था और मा0 मंत्री जी का यह कहना था कि सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं वहां के उद्योगपति रुचि नहीं लेते हैं। आज मैं यह विषय तथ्यों के साथ इसलिए लेकर आया हूं कि सदन यह जान सके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अगर पिछड़ा है तो सरकार की नीतियों के नाते और सरकार की नीतियों के अकुशल अनुपालन के नाते। मा0 अध्यक्ष जी हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत अनाज पैदा होता है। सबसे अधिक आलू हम पैदा करते हैं।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, बाहर अभी भी, एनार्की का माहौल बना हुआ है। वहां पर अभी भी लाठीचार्ज हो रहा है। मान्यवर, अगर यही तरीका है। अगर राजनीति विद्वेष के कारण अगर कोई घटना होती है तो इस सदन के चलने न चलने का कोई महत्व नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य सदन के वेल में आ गये और एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया, घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि दिखवा लेंगे। आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मा0 महाना जी, हम सब राजनीतिक प्रदर्शन करते हैं और सारे तथ्यों को समझते हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं इन प्रदर्शनों को हम सभी समझते हैं। मा0 मंत्री जी ने कहा है कि हम दिखवा लेंगें अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री सतीश महाना-

क्या यही दिखवाने का तरीका है कि और लाठीचार्ज हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछिये। यह सब आन्दोलन होते हैं इसमें लाठीचार्ज भी होता है। इसमें पकड़-धकड़ भी हो जाती है। गिरफ्तारी भी हो जाती है। आप भी आन्दोलन किये हैं हम लोग भी आन्दोलन किये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और पुलिसकर्मियों में बड़े पैमाने पर जो ईंट और पत्थरबाजी हो रही है उसमें आम जनता भी पिस रही है। (सदन के वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण अपनी-अपनी बात कहने लगे, जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

तो यह इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर केवल पार्टी पुलिस की बात हो, तो बात समझ में आती है, आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं है, वह भी लाठी-इण्डों और ईंट-पत्थरों में चोट खा रही है, इसलिए मान्यवर यह मामला गम्भीर है और मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस मामले को उतनी ही गम्भीरता से लें, जिससे कि वहां आम जनता को इन्साफ मिल सके और आम जनता इस हादसे की शिकार न होने पाये और कोई बात बिगड़ने न पाये, कोई विसंगति न पैदा होने पाये, इसलिए मान्यवर यह गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने तो आश्वासन दिया ही है कि इस पूरे मामले को देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब बताइये, मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे, यह कार्यवाही का अंग है। फिर भी आप लोग अपने स्थान पर नहीं जा रहे हैं।

श्री सतीश महाना (सदन के वेल से)-

मान्यवर, उसके बाद तो लाठी चार्ज और तेज हो गया है। लोगों के फैक्चर हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब देखिये, यहीं से बता रहे हैं कि फैक्चर हो गया, ये एक्सरे मशीन भी हो गये। अच्छा, यहीं तो हो सकता है न कि अभी देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या मदद की जा सकती है।

श्री सतीश महाना-

(वेल से) आप दिखवा लें मान्यवर, तब तक हम लोग यहीं वेल में बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 खन्ना जी, आप भी जानते हैं, जितने इसमें आये हैं, सभी दल आन्दोलन करते हैं और कैसे-कैसे आन्दोलन होते हैं, कैसे लाठी-चार्ज होती है, कैसे ईंटा-पत्थर चलता है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब विरोध हो गया, अब आप लोग अपने स्थान पर चलें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जो कर रहे हैं, यह अपनी जगह है, वह जो कर रहे हैं, वह अपनी जगह है। दोनों काम चलते रहना चाहिए, अब आप अपना काम करिये, बात आ तो गयी। मान्यवर, अब देखिये वहां भी राजनैतिक प्रक्रिया है, यहां भी राजनैतिक प्रक्रिया है, दोनों अपना काम कर चुके, अब आप लोग अपनी जगहों पर पहुंचे।

श्री सतीश महाना (सदन के वेल से)-

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जनता भी प्रताड़ित हो रही है, मान्यवर जनता तो पहले से प्रताड़ित हो रही है, जनता की पीड़ा को समझते हुए ही यह किया गया। इनको जनता की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है। हमें तो जनता की पीड़ा और भारतीय जनता पार्टी दोनों की पीड़ा को देखने के बाद यह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, मा0 मंत्री जी ने कहा हम दिखवा लेंगे और जो उचित होगा करेंगे। मा0 मौर्या जी ने कहा कि आपकी और पुलिस की लड़ाई में जनता पिस रही है, तो जनता क्यों पिसे, यह तो आप देखो। खन्ना जी, यह आन्दोलन क्यों, कैसे, सब जानते है, बार-बार दोहरा रहा हूं। अच्छा आप लोग अपने स्थान पर जायें, डा0 साहब आपका तो इतना महत्वपूर्ण विषय है पूर्वी उत्तर

प्रदेश का, वह उस लाठी चार्ज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप कह रहे हैं, आप अपना प्रश्न तो रखें। नहीं कोई रखना चाहते हैं ? आप लोग यहां पर बैठने से अच्छा वहां पर जाकर देखें जिनको चोट लगी है, उनको अस्पताल ले जाते, और कुछ करते, ऐसा न करके आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जहां आपको सहानुभूति दिखानी वहां पर आप दिखा नहीं रहे हैं, बाहर जाकर देखिये न। या तो आप डर गये हैं। अरे वर्मा जी आपको बाहर जाकर देखना चाहिए जिनको चोट लगी है, उनकी दवा कराना चाहिए और सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी चाहिए, तो आप यहां बैठे हैं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा (सदन के वेल में)-

मान्यवर, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होगा, यहां पर आपका संरक्षण तो मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपको उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है क्या ? अरे अब आप लोग जाइये, अब हो गयी बात। अब आप नहीं चल रहे हैं, मैं 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं, बैठिये आप।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 35 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री सतीश महाना एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य पुनः सदन के वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

शून्य प्रहर समाप्त हुआ अब बजट पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना (सदन के वेल से)-

मान्यवर, बाहर बहुत जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग वहां गये नहीं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम लोग वहां गये थे लोकतंत्र में इस तरह की बर्बरता ठीक नहीं है।

(सदन के वेल में आये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

[2.02] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी तरफ से कोई कटमोशन का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक पर श्री रवीन्द्र भड़ाना जी को और तीन पर डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी को रखना है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, कोई कटमोशन का प्रस्ताव नहीं रखना चाहता है।

श्री अध्यक्ष-

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं मद संख्या-9 (1) ले रहा हूं। माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी आपको इस बजट पर कुछ कहना हो तो कह लें।

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर मैं आपके अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,35,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं अपने विभाग की उपलब्धियों एवं कार्य-प्रगति के सम्बन्ध में माननीय सदन को आपके माध्यम से कुछ जानकारियां देना चाहता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। हमारे सदस्य सदन के वेल में हैं और जो बाहर घटना हुई हैं, बर्बर हुई है, उसके बारे में, चर्चा करना चाहते हैं, आप अवसर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपने-अपने आसनों पर वापस जायें।

श्री राममूर्ति वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित दूध का लाभकारी मूल्य दिलाने व कृषि आधारित ढांचा को मजबूत करने में दुग्ध विकास विभाग का सराहनीय योगदान रहा है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी एवं परिवार में विघटन के कारण कृषि योग्य भूमि का आकार घटता जा रहा है। वर्तमान परिवेश में दुग्ध व्यवसाय ही एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो कृषि के साथ अपनाकर ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगारों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराता है।

विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बेरोजगार निर्बल वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध व्यवसाय के प्रति जागरूक करने हेतु दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्जीवीकरण एवं विस्तार योजना पशु प्रबन्धन प्रजनन एवं पोषण के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 12700 दुग्ध समितियों के माध्यम से 4.81 लाख कि0ग्रा0 दूध का उपार्जन एवं 3.18 लाख लीटर प्रतिदिन तरल दुग्ध बिक्री की गयी।

वर्ष 2014-15 में 16703 समितियों के माध्यम से 8.50 लाख कि0ग्रा0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन एवं 5.50 लाख लीटर प्रतिदिन तरल दुग्ध बिक्री किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सहकारी क्षेत्र में बन्द 07 दुग्ध संघों में से 03 दुग्ध संघों (फतेहपुर मथुरा एवं आगरा) को पुनर्संचालित करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा मार्च, 2012 में रु0 5.46 करोड़ तथा वर्ष 2013-14 में 03 अन्य दुग्ध संघों (अलीगढ़, सहारनपुर एवं बरेली) को पुनर्संचालित करने हेतु रु0 8.00 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। दुग्ध उत्पादकों के हित में उनके बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में रु0 26.50 करोड़ तथा वर्ष 2013-14 में रु0 30.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु रु0 62.35 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिसने रु0 2.62 करोड़ केन्द्रांश सम्मिलित है। दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गत वर्ष बजट प्राविधन रु0 3.00 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष रु0 4.10 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। जनपद कन्नौज के उमर्दा तिरवा विधान सभा क्षेत्र में 30,000 लीटर दैनिक क्षमता के दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की प्रस्तावित लागत रु0 480.85 लाख के सापेक्ष रु0 425.00 लाख गत वर्षों में उपलब्ध कराया जा चुका है तथा अवशेष धनराशि रु0 55.85 लाख की व्यवस्था बजट में की गयी है। इसी प्रकार जनपद आजमगढ़ के बूढ़नपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन 10,000 लीटर दैनिक क्षमता के डेरी प्लाण्ट की स्थापना हेतु रु0 100.00 लाख तथा मैनपुरी में स्थापित अवशीतन केन्द्र के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रु0 40.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुग्ध विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद से दुग्ध समितियों को सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले एक दुग्ध उत्पादक को गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गत वर्ष तक पुरस्कार विजेता को रु0 22,000.00 नकद पुरस्कार तथा एक सील्ड प्रदान की जाती थी। इस वर्ष प्रदेश में तीन सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में रु0 1.00 लाख, द्वितीय रु0 75,000.00 तथा तृतीय को रु0 50,000.00 नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस मद में रु0 27.25 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

सहकारिताओं को सहायता योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों की संकलित हानियों को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में दुग्ध संघ आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर के लिये कुल रु0 2779.60 लाख स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष रु0 1694.37 लाख प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में दुग्ध संघ बुलन्दशहर को योजनान्तर्गत रु0 45.00 लाख केन्द्रांश तथा रु0 45.00 लाख राज्यांश कुल रु0 90.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत रु0 200.00 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु हरे चारे की व्यवस्था के लिये किसानों को उन्नत किस्म के चारा बीज उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र पोषित चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रु 162.275 लाख उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह कह रहे हैं व्यवधान, आपने अपनी बात कह ली। माननीय महाना जी, आपको कटमोशन रखना है, रखेंगे ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस प्रकार से कटमोशन क्या, किसी भी मद को लेने का कोई औचित्य नहीं होता। जब निरीह लोगों के ऊपर गोली चलाई जायेगी जब आम कार्यकर्ताओं के ऊपर विद्वेष भाव से राजनीतिक कारणों से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसमें चूंकि कोई कटमोशन नहीं रखा गया है इसलिए मैं सीधे प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 46,35,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-15- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,26,53,83,0000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(सदन की वेल में आये हुए भाजपा के माननीय सदस्य के नारे लगाते हुए माननीय अयक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

वहां चलो, वहीं बैठो।

डा0 राधा मोहन दास जी को इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना था, अग्रवाल साहब इस पर कटमोशन रखेंगे, नहीं रखना है मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,26,53,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,05,01,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब इसमें आपको कटमोशन रखना था आप रख रहे हैं। आप नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,05,01,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वले वर्ष में अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति दिनेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,55,40,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप कटमोशन रखेंगे ? माननीय अग्रवाल साहब आपको कटमोशन रखना है, आप रख रहे हैं ? नहीं रख रहे हैं। मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,55,40,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, इस पर आप अपना प्रस्ताव रख रहे हैं ? नहीं रख रहे हैं। तो छोड़िये, मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष से में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 2 में खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

''(घ-1) ग्रीन टैक्स का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिरोपित कर से है।''

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

''परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने के दिनांक से परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंजीयन की वैधता समाप्त होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में लागू दर पर ग्रीन टैक्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, का भुगतान न कर दिया गया हो।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आगरा महानगर में लगातार गिरते संगम जल स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पार बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल द्वारा 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा पर स्थगन

श्री अध्यक्ष-

डा0 धर्मपाल सिंह जी, चर्चा करेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, कैसे करें, पहले सदन तो व्यवस्थित हो। मैं तो तैयार हूं। लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस में अन्तर्गत 6 विषय है, इस सत्र में आगे चर्चा होगी।

(सदन में लगातार घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

आगरा महानगर के यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 हब) बनाये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस मद के अन्तर्गत 6 विषय हैं, इन सब पर आगे चर्चा होगी।

पूर्वांचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले उसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोग ग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

डा0 बाजपेयी जी नहीं है, इसलिये इस पर चर्चा का कोई सवाल नहीं है। अब नियम-51 की सूचनायें।

अच्छा वह आज कही जाने वाले थे, इसलिये स्थगित करने को कह गये हैं। बाहर कहीं होंगे आन्दोलन में।

[2.16] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

एक (घोर व्यवधान के मध्य) चीज मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जब नियम-51 आप देते है तो नियम-51 देते समय भी नहीं रहते हैं और जब उत्तर आता है, तब भी नहीं रहते हैं। इसमें सरकार का बहुत समय बरबाद होता है, इसलिये हमने यह निर्णय लिया है कि जो माननीय सदस्य नियम-51 लेते समय सदन में उपस्थित रहेंगे, सिर्फ उन्हीं का लिया जायेगा। अब मैं इसे ले रहा हूं।

आज दिनांक 30-06-2014 को नियम-51 की कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

दूसरी सूचना श्री गयादीन अनुरागी की है जो जनपद जालौन में वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को पुनर्वास पैकेज एवं आर्थिक अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है- वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद में ग्राम सभा मेजा के पारसनाथ के आराजी सं0 289 ख पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना श्री मनीष असीजा की है, वह यहां है, इसलिये कोई सवाल नहीं है।

छठी सूचना श्री ममतेश शाक्य की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

सातवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड के ग्राम पंचायत दोथ में चकरोड पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्रों द्वारा रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों को अतिभारित होने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री बावन सिंह की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

ग्यारहवीं सूचना श्री रोशल लाल वर्मा की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गईं :-

1-श्री पंकज कुमार मलिक, 2-श्री अजय कुमार लल्लू, 3-श्री रविदास मेहरोत्रा, 4-श्री पूरन प्रकाश, 5-श्री गुटियारी लाल दुबेश, 6-श्री बृजेश कुमार, 7-श्री काली चरन सुमन, 8-श्रीमती हेमलता चौधरी, 9-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, 10-श्री दिलनवाज खां, 11-श्रीमती रजनी तिवारी, 12-श्री गेंदालाल चौधरी, 13-श्री उमेश पाण्डेय, 14-श्री भगवान सिंह कुशवाहा, 15-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, 16-श्री सुधाकर सिंह, 17-श्री अमरपाल शर्मा, 18-श्री सुरेश बंसल, 19-श्री अगयश राम सरन वर्मा, 20-श्री रामहेत भारती, 21-श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', 22-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, 23-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 24-श्री संजय प्रताप जायसवाल, 25-श्री प्रदीप माथुर, 26-श्री धर्मपाल सिंह, 27-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, 28-श्री मुकुट बिहारी वर्मा, 29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद, 30-श्री सिनोद कुमार शाक्य, 31-श्री बब्बन सिंह चौहान, 32-श्री सतीश महाना, 33-श्रीमती कृष्णा पासवान, 34-श्री प्रदीप चौधरी, 35-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 36-श्री सुशील सिंह, 37-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज और श्री रामचन्द्र यादव।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग द्वारा ढैंचा का बीज उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

सर्वश्री स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवान सिंह कुशवाहा, ममतेश शाक्य, अवस्थी बाला प्रसाद.....

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[राजबली जैसल, रोशनलाल वर्मा, बृजेश कुमार, जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, त्रिभुवन राम, बब्बन सिंह चौहान, कालीचरन सुमन, हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, चन्द्रभान सिंह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पटेल तथा श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 25 जून, 2014 को दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है जिसकी रीढ़ कृषि एवं किसान है। सरकार की भी चिन्ता कृषि और किसान के साथ सदैव रहती भी है। किन्तु इस वर्ष जायद फसल के पूर्व बड़े पैमाने पर प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग की ओर से ढैंचे की बुआई के लिए ढैंचे का बीज नहीं मुहैया कराने से जहां प्रदेश के किसानों को घोर निराशा हुई है, वहीं ढैंचा बुआई न होने से जायद की फसल के उपज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना पूरी बलवती हो गयी है। कृषि विभाग की उदासीनता से प्रदेश के किसानों में घोर असंतोष व्याप्त है। किसान आन्दोलित भी हैं। कभी भी जनाक्रोश आन्दोलन का रूप ले सकती है।

मा0 सदस्यगण द्वारा मामले की गम्भीरता, अविलम्बनीयता तथा महत्व को देखते हुए सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्यगण द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में खेती योग्य बोया जाने वाल कुल क्षेत्रफल लगभग 166 लाख हेक्टेयर है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के कृषकों को अनुदान पर ढैंचा बीज उपलब्ध कराने की एक योजना है। ज्ञातव्य है कि कृषकों को ढैंचा बीज माह मार्च से अप्रैल के मध्य वितरित किया जाता है। सूच्य है कि लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2014 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में मार्च के प्रथम सप्ताह में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी थी। इसी के दृष्टिगत योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि विभाग के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2014 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से अनुमति मांगी गयी थी किन्तु निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। यहां पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत ढैंचे के बीज का वितरण माह मार्च से माह अप्रैल के मध्य किया जाता है और इसी मध्य आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण योजना की कार्य योजना पर अनुमोदन नहीं होने के कारण योजनान्तर्गत ढैंचे के बीज का वितरण नहीं हो सका।

उक्त के क्रम में यहां यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में खेती योग्य बोया जाने वाला शुद्ध क्षेत्र लगभग 166 लाख हेक्टेयर है। यदि इस सारे क्षेत्रफल में ढैंचा बीज की बुवाई की जाए तो इसके लिए लगभग 66.5 लाख कुंतल ढैंचा बीज की आवश्यकता होगी। सामान्यतः प्रदेश में एक लाख कुंतल ढैंचा बीज उपलब्ध कराते हुए लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हरी खाद के रूप में आच्छादन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल वितरित अधिकतम 01 लाख कुंतल ढैंचा बीज मात्रा से 2.5 लाख हेक्टेयर आच्छादित होने वाला क्षेत्र, कुल शुद्ध बोरे गये क्षेत्रफल का लगभग 1.5 प्रतिशत है जो कि नगण्य है।

जहां तक मृदा स्वास्थ्य सुधार का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यदि समस्त क्षेत्र में हरी खाद का प्रयोग किया जाए तभी इसका उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अतः कृषकों को अब यह प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि बीज उत्पादन उनके द्वारा किया जाए और हरी खाद के रूप में उत्पादित बीज का उपयोग किया जाए। गोष्ठियों के माध्यम से इस प्रकार के सुझाव कृषक भाईयों को दिये जा रहे हैं।

मृदा स्वास्थ्य सुधार के दृष्टिकोण से मृदा उर्वरता बढ़ाने एवं मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने के उद्देश्य से हरी खाद ढैंचा बीज की बोवाई सामान्यतः 15 मई तक की जाती है तथा उसकी पलटाई

40-45 दिन के उपरान्त विलम्बतम माह जून के अन्त तक की जाती है ताकि हरी खाद के रूप में ढैंचा कार्यक्रम का अधिकतम लाभ लिया जा सके। यह कार्यक्रम जायद फसलों हेतु नहीं लिया जाता है। अतः जायद की फसलों में उपज/उत्पादन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना बिल्कुल नहीं है।

अनुदान पर बीज किसी योजना को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। हरी खाद के रूप में प्रयोग हेतु ढैंचा बीज के वितरण पर अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। यह कृषक भाईयों को जागरूक करने के लिए एक प्रयास था। कृषकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि अब कृषकों में हरी खाद के लिए जागरूकता बढ़ी है। अब कृषकों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने के स्थान पर यह ज्यादा प्रभावी होगा कि उन्हें बीज उत्पादन अपने स्तर पर करके ढैंचा बीज का उपयोग हरी खाद बनाने में किया जाय। कृषि विभाग द्वारा इसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद हाथरस स्थित माँ रामवती महाविद्यालय असीमित योजना के अन्तर्गत शेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री रामवीर उपाध्याय का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, उनका नहीं पढ़ा जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के रोजा थर्मल पॉवर प्लाण्ट से निकलने वाली विषैली राख के निस्तारण की उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य..... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री राजेश यादव का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है, व्यपगत।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि से हुये नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री दलजीत सिंह का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है, व्यपगत।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पैथोलाजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं यूनिट प्रभारी द्वारा आदेश के विपरीत बिना टेण्डर के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री रामहेत भारती का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, व्यपगत।

अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में मानदेय शिक्षकों के आमेलन के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्यपगत)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री सतीश महाना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत.....

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 25-06-2014 को दी गयी सूचना पर दिनांक 30-6-2014 को निर्धारित केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे मानदेय शिक्षकों के आमेलन के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1980 यथासंशोधित (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 में तथा उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के द्वारा संशोधन करके दिनांक 06 जून, 2014 को आमेलन से संबंधित निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार केवल वे मानदेय प्रवक्ता जो 31 अगस्त, 2003 को या उसके पूर्व नियुक्त हुए हैं, का आमेलन किया जा रहा है। मानदेय प्रवक्ताओं की नियुक्ति 29 मार्च, 2011 से बंद है। 31 अगस्त, 2003 के बाद नियुक्त मानदेय प्रवक्ता जो लगभग 4-11 वर्षों की सेवायें दे चुके हैं, के आमेलन की व्यवस्था नहीं है। 2003 से 2011 तक के मानदेय प्रवक्ताओं का आमेलन किया जाना भी न्यायसंगत होगा। इन शेष बचे प्रवक्ताओं में घोर निराशा व कुण्ठा प्याप्त हो रही है वहीं अध्यापन कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्यापकों में अध्यापकों की नियुक्ति उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के प्राविधानों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अन्तर्गत उ0प्र0 उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए शासनदेश संख्या-467/सत्तर-2-98-3(9)93टी0सी0, दिनांक 7 अप्रैल, 1998 द्वारा नियत मानदेय पर प्रवक्ताओं को रखे जाने की व्यवस्था की गई थी।

3-शासन के संज्ञान में यह बात आने पर कि महाविद्यालय के प्रबन्धंत्र द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर अपने स्तर से विहीत शर्तों से इतर मानदेय शिक्षक के रूप में नियुक्तियां कर ली जा रही हैं और जब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विधिवत् चयनित शिक्षक उपलब्ध होते हैं तो उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है ऐसी कार्यवाही से जहां एक ओर नियमों का उल्लंघन होता है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मा0 न्यायालय में याचिकायें योजित हो जाती हैं, उक्त समस्या के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 29-3-2011 द्वारा मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति विषयक शासनादेश दिनांक 7-4-98 को निरस्त कर दिया गया है।

4-मानदेय शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में आमेलित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 यथासंशोधित (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा धारा-31ई का समावेश किया गया है, जो निम्नवत् है :--

> 31-(ई) ''धारा-12 और 13 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है, जिसे उक्त धाराओं के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक अर्हता रखता है, जिसने तीन शैक्षिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुए मानदेय प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत है, को उपधारा (2) के अधीन विहित रीति में आमेलित किया जायेगा।''

5-उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-31-ई(1) में ऐसी रिक्ति जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भरी नहीं जा सकती हैं, पर ही मानदेय अध्यापक को आमेलित किये जाने की व्यवस्था की गई थी किन्तु विचारोपरान्त यह पाया गया कि ऐसी कोई रिक्ति नहीं है, जिसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भरा न जा सकता हो। इस प्रकार मानदेय शिक्षकों को आमेलित किये जाने के उद्देश्य से पदों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु धारा-31ई के प्रस्तर-1 में ''भरा नहीं जा सकता है'' के स्थान पर ''भरा नहीं जा सका'' का प्राविधान करते हुए उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यादेश), 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3, सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

6-उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 2006 की धारा-31-ई एवं उ0प्र0 उच्चतर सेवा आयोग (अध्यादेश), 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3, सन् 2014) में विहित प्राविधानों के अनुसार मानदेय शिक्षकों के आमेलन हेतु शासनादेश संख्या-331/सत्तर-2-2014 दिनांक 06 जून, 2014 द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद को निर्देश दिये गये हैं। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार मानदेय अध्यापक, जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत रहा है, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक अर्हता रखता है, जिसने तीन शैचिक सत्र की न्यूनतम अवधि में

कार्य करते हुए मानदेय प्राप्त किया है और उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत है को उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से आमेलित किया जा सकेगा।

इस प्रकार उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 2006 की धारा-31-ई एवं उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (अध्यादेश), 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3, सन् 2014) में दिये गये प्राविधानों से आच्छादित मानदेय शिक्षकों को ही आमेलित किया जा सकेगा।]

जनपद देवरिया के रमकोला के ग्रामों में किसानों की फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित रहेगी।

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में मार्ग प्रकाश के बिन्दुओं के दिन में जलते रहने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्ययगत)

(मा0 सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

अध्यक्ष-

मा0 सदस्य नहीं है, व्यपगत।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा बैठकवा के संतधारी की जमीन पर जबरन कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री राजबली जैसल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत.....

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[दिनांक 25-6-2014 को यह सूचना दी गयी है कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्रामसभा-बैठकवा, तहसील-कोरांव, विकास खण्ड-कोरांव के रहने वाला है। जो एक गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनका नाम संतधारी पुत्र राम दुला जिनके निजी जमीन खतौनी सं0-00711 गाटा सं0-1853 क्षेत्रफल 0.4880 इनकी निजी जमीन को कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिया है। जिसके कारण इनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि इसके आलावा इनके पास कोई अन्य जमीन नहीं है। इस प्रकार के इनके साथ हो रहे व्यवहार से खुद तथा गांव के लोग काफी आक्रोशित है।

अतः इस लोकमहत्व अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त सन्तधारी की जमीन को खाली कराकर एवं कब्जा दिलाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

वक्तव्य :--

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्तधारी पुत्र रामदुलार के नाम राजस्व ग्राम देवघाट (बैठकवा) में खाता खतौनी सं0-00711 गाटा सं0-1853 क्षेत्रफल 0.4880 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है, आज दिनांक 28-6-2014 को प्रभारी राजस्व निरीक्षक कोरांव व क्षेत्रीय लेखपाल देवघाट एवं नायब तहसीलदार बड़ोखर द्वारा श्री सन्तधारी एवं अन्य काश्तकारों की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन करके उन्हें कब्जा व दखल दिलाया गया, जिससे वे सन्तुष्ट है। उक्त भूमि के अतिरिक्त श्री सन्तधारी की पत्नी श्रीमती शान्ती के नाम कुल गाटा सं0-6, क्षेत्रफल 0.8730 हे0 भूमि है, खाता सं0-01176 में पंजीकृत बैनामा के आधार पर 0.457 हे0 खाता सं0-01199 पर सन्तधारी व उनकी पत्नी श्रीमती शान्ती देवी के नाम रकबा 0.457 हे0 भूमि है। इस प्रकार सन्तधारी व उनकी पत्नी के नाम 1.787 हे0 भूमि है। श्री सन्तधारी व उनका परिवार भुखमरी के कगार पर नहीं है और न ही गांव के लोगों में कोई आक्रोश है।]

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क यूनीफार्म का मानक निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य.....(व्यपगत)

(मा0 सदस्य श्री मित्रसेन यादव का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य उपस्थित नहीं है (व्यपगत) अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 30 जून, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अता0प्र0सं0-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ-39 पर)

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कार्यवाही संस्थाओं को अवमुक्त की गयी धनराशियों का जनपदवार विवरण

धनराशि हजार रुपयें में

क्र0-सं0	जनपद	धनराशि
1	रामपुर	207841.500
2	श्रावस्ती	237320.000
3	सिद्धार्थनगर	247248.000
4	मुरादाबाद	164450.250
5	बरेली	300536.675
6	मेरठ	284193.500
7	मु0नगर	124845.000
8	बिजनौर	37746.000
9	गाजियाबाद	135538.000
10	शाहजहांपुर	60738.750
11	पीलीभीत	157008.125
12	लखनऊ	70328.020
13	बागपत	114279.500
14	बलरामपुर	162293.000
15	जे0पी0नगर	97234.500
16	बाराबंकी	107346.125
17	सहारनपुर	84639.000
18	लखीमपुर खीरी	170769.400
19	बदायूं	121337.500
20	बहराइच	121928.000
21	हापुड़	87327.000
22	बुलन्दशहर	84000.000
	योग :	3178947.845
		रुपया-317.89 करोड़

नत्थी (ख)

(देखिये अता0प्र0सं0-41 का उत्तर पीछे पृष्ठ-49 पर)

कार्य-योजना

1-शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी कर एक संयुक्त समिति की स्थापना की गयी है, जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत शहर क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण, चौराहा/रोड चौड़ीकरण, फ्लाई ओवर का निर्माण आदि का कार्य किया गया है। वर्तमान समय में काफी संख्या में रोड चौड़ीकरण फ्लाई ओवर निर्माण का कार्य प्रचलित/प्रस्तावित है।

2-36 महत्वपूर्ण चौराहों/तिराहों जहां जाम होने की सम्भावना बनी रहती है, को चिन्हित कर नागरिक पुलिस एवं यातायात पुलिस की पीक आवर्स में संयुक्त ड्यूटी लगाकर यातायात सुव्यवस्थित कराया जा रहा है। इनमें से भी आदर्श यातायात व्यवस्था हेतु प्रमुख 15 चौराहों को चिन्हित कर यातायात पुलिस बल को बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय चौकी इन्चार्ज को भी यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गयी है।

3-शहर के अन्दर यातायात के भारी दबाव के दृष्टिगत यातायात पुलिस की ड्यूटी के लिये 19 कलस्टर चेकिंग प्वाइन्ट निर्धारित करते हुए सभी ड्यूटी स्थलों के चेकिंग की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है।

4-15 प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर रोड इन्जीनियरिंग के कारण यातायात जाम की समस्या के निदान हेतु सम्बन्धित सभी विभागों से समन्वय कर कार्यवाही करायी जा रही है।

5-हजरतगंज की यातायात व्यवस्था की सुगम किये जाने हेतु हजरतगंज चौराहे से अशोक मार्ग के डिवाइडर को इलाहाबाद बैंक साइड में शिफ्ट करते हुए रोड चौड़ीकरण एवं साईनेज तथा बटलर मार्ग (बैकुण्डधाम) की सड़क का चौड़ीकरण एवं यातायात के सुगम संचालन हेतु साईनेज का कार्य कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को यातायात प्रबन्धन निधि से 02.54 करोड़ का अनुदान आवंटित कराकर कार्यवाही कराई जा रही है।

6-शहर के अन्दर 40 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगी है जिसमें से 19 सोलर ऊर्जा एवं 21 बिजली से संचालित होते हैं, जिसका रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जाता है तथा इन चौराहों पर बनी स्टाप लाइन/जेब्रा लाइन की रंगाई पुताई का कार्य नगर निगम के सहयोग से प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त 94 अन्य स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

7-रिलान्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा शहर के 70 चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सभी 70 चौराहों पर ग्राउण्ड बेस्ट मास्ट की स्थापना की जा चुकी है एवं कैमरों के स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के लखनऊ प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी कैमरों को अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम से जोड़ा जाना है। लगभग आगामी 04 माह में सभी कार्यवाही पूर्ण कर कैमरों के संचालन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

8-हजरतगंज से जिलाधिकारी आवास के मध्य यातायात/नो-पाक्रिंग जोन के अनुपालन हेतु सी0सी0टी0वी0/डोम कैमरा एवं पी0ए0 सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में यातायात प्रबन्धन निधि से धन आवंटित कराकर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

9-शहर के अन्दर रोड के मध्य डिवाइडर काट कर बनाई गयी अनावश्यक कटिंगों को स्थायी रूप से बन्द किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/प्रान्तीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करायी जा रही है।

10-यातायात पुलिस लाइन के कन्ट्रोल रूम को अत्याधुनिक किये जाने एवं ट्रैफिक हेल्प लाइन-1073 का जनसामान्य में प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु फ्लैक्स बोर्ड एवं स्टीकर लगाये जाने की कार्यवाही यातायात प्रबन्धन निधि से धन आवंटन कराकर की गयी है।

11-शहर के अन्दर प्रस्तावित मैट्रो रेल परियोजना के सन्दर्भ में जनपद की वर्तमान यातायात प्रवाह, यातायात घनत्व एवं विद्यमान समस्याओं के अध्ययन के साथ-साथ भविष्य में बढ़ते दबाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के आंकलन के लिए यातायात पुलिस की कमेटी बनाकर एक्सपर्ट एवं गणमान्य लोगों से राय लेकर कार्यवाही प्रचलित है।

12-गोमतीनगर में स्थापित होने वाले नई मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ की यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में यातायात पुलिस की कमेटी बनायी गयी है।

13-साप्ताहिक बाजारों यथा बुध बाजार, महानगर एवं मंगल बाजार, आलमबाग आदि को मुख्य मार्ग से हटाकर अन्य स्थानों पर स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर कार्यवाही कराई जा रही है।

14-नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों पर जहां की चौड़ाई अधिक है अथवा सड़क के किनारे जमीन उपलब्ध है, मुख्य मार्ग से हटाकर उस स्थान पर अलग से पाक्रिंग स्टैण्ड बनाये जायें, जो प्रत्येक दशा में एक लाइन का एवं निर्धारित दूरी में ही हो तथा चौराहों/तिराहों से 100 मीटर दूर हों, इसके लिए सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर कार्यवाही करायी जा रही है।

15-अमीनाबद, गोमतीनगर, पत्रकारपुरम्, इन्दिरा नगर, निशातगंज, कैसरबाग, चौक, मेडिकल कालेज, नक्खास के आस-पास पाक्रिंग स्थानों के निर्माण हेतु सम्बन्धित से पत्राचार किया गया है।

16-हनुमान मन्दिर तिराहे पर बीच का डिवाइडर कट को बन्द करके बन्धारोड के सामने हनुमान सेतु के बाद/(मन्दिर साइड) में एक छोटा चौराहा बनाने तथा वाहनों की पाक्रिंग हेतु गोमती नदी के किनारे बन्धे से रैम्प बनाकर पाक्रिंग स्थल बनाये जाने हेतु नगर निगम से पत्राचार किया गया है।

17-आई0टी0 चौराहे से विश्वविद्यालय मार्ग, निराला नगर मार्ग, निशातगंज मार्ग पर बने डिवाइडर का और नजदीक कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर कार्यवाही कराई जा रही है।

18-मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-3612 एमबी)/2007 मन्जू सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में 16 एकल दिशा मार्गों को लागू कर अनुपालन कराया जा रहा है।

19-नगर निगम के माध्यम से जनपद के 11 मार्गों पर घोषित 'नो बेडिंग जोन' पर 90 बोर्ड लगाकर उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

20-मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या-2435(एम/बी)2001 निशातगंज रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य बनाम नगर निगम, लखनऊ व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-3612(एमबी)/2007 मंजू सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है।

21-मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-2102(एम/बी)/97 बृजेश कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश व शासनादेश संख्या-1023/30-4-2005-(17)पी0/99टीसी, दिनांक 17-05-2005 के अनुपालन में शहर में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक भारी वाहनों का नो-एन्ट्री लागू किये जाने का अनुपालन कराया जा रहा है।

22-आधुनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना चीनी निगम लि0 गोमतीनगर की बिल्डिंग में की गयी है तथा आधुनिकीकरण उपकरणों एवं वाहनों का जी0पी0एस0 सिस्टम से जोड़ने तथा सी0सी0टी0वी0 की कनेक्टीविटी आदि की कार्यवाही की जा रहा है।

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0-156 विधान सभा (279)-27-10-2014-813 प्रतियां।